

कार्यालय कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग, नीमच जिला नीमच (म.प्र.) (कार्या.कोड-0237)  
फोन नं. 07423-232411, फैक्स 07423-232911, ईमेल cewrd neemuch@yahoo.co.in

पत्र क्र० 1314 /कार्य/ 2025

नीमच, दिनांक- 23/05/2025

प्रति

वनमण्डलाधिकारी  
वनमण्डल नीमच

विषय . जिला नीमच के अंतर्गत गंगाबावड़ी टैंक योजना में उठाए गए बिंदुओं के समाधान करने बाबत ।

संदर्भ . 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पत्र क्र./8-19 /2024.FC दिल्ली दिनांक . 03 -12-2024।  
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी नीमच का पत्र क्रं./तकनीकी/ 2025 /22 नीमच दिनांक 01.01.2025।

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिला नीमच के अंतर्गत गंगाबावड़ी टैंक योजना में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF) द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं का समाधान कर लिया गया है। निर्धारित सभी अनुपालन आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा किया गया है, और संबंधित दस्तावेजों को PARIVESH पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस संदर्भ में, उपरोक्त दस्तावेजों की एक प्रति अग्रिम कार्रवाई हेतु आपके कार्यालय को उपलब्ध कराई जा रही है।

(विमल श्रीवास्तव)  
कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग, नीमच

TEHSIL : MANASA

## GANGA BAWARI TANK PROJECT

बिन्दुवार जानकारी

DISTRICT : NEEMUCH

|     | Question                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Answer                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ii  | Keeping in view the revised area of the proposal, the state shall ensure that all the requisite documents, recommendations and the site inspection reports of the authorities as applicable are submitted/uploaded.                                                                                                                                                                                | Joint inspection report has been enclosed. {Annexure-01}                                                                                                      |
| iii | The State Govt. has not submitted the basic details of proposed Dam like its height, length, command area, details about the canal/Distributaries, technical approval, hydrological assessment report etc. along with any study carried out in the basin has not been submitted with the proposal. Moreover, any alternative examined with relevant map/KML file shall also be uploaded/submitted. | Salient features of project hydrology, index map Technical approval letter and alternative site on toposheet have been enclosed with proposal. {Annexure-02 } |
| iv. | The State Government shall clearly specify whether the proposal involved the violation under Van (Sanrakshan Evam samvardhan) Adhiniyam, 1980 or offence has been booked under the provisions of the Indian Forest Act, 1927. The same needs submission along with detailed report on the action taken by the State Government regarding concerned person/officials.                               | This query is related to forest office which was marked to user agency by DFO Neemuch vide letter number Technical/2025/22 dated 01-01-2025.                  |
| v   | The Minutes of the Project Screening Committee held in the State has not been found uploaded on PARIVESH. The same needs submission.                                                                                                                                                                                                                                                               | Minutes of the project screening committee held in the state have been enclosed. {Annexure-03 }                                                               |
| vi  | The State Govt. shall re-examine the site specificity of the proposal and submit detailed report along with justification as to why the project cannot be executed in non-forest area.                                                                                                                                                                                                             | Justification report enclosed. {Annexure-04 }                                                                                                                 |
| vii | The user agency shall furnish a report from the State Dam Safety Organisation (SDSO) regarding all technical aspects w.r.t the dam. The recommendations shall be implemented by the user agency to avoid any possible unforeseen conditions. The State Government shall obtain approval of the National Dam Safety Authority (NDSA) on the recommendations made by the State                       | Dam Constructed under guideline of dam safety act. Copy of order Feasibility has been enclosed {Annexure-05 }                                                 |



| Question |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Answer                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Dam Safety Organisation (SDSO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| viii     | The State shall also intimate whether any study of the impact of the project on the flow of water downstream has been carried out or not?                                                                                                                                                                                           | The stream on which dam is proposed is a non perennial stream with catchment of only 12.81 sq km. Therefore no such study required. Excess water from dam will flow from designed waste weir into this stream in rainy season. |
| ix       | The State shall give the details of the likely socio-economic benefits of the project and the expected changes in the cropping pattern of the area and other likely impacts of the project in detail.                                                                                                                               | Cost benefit analysis, cropping pattern, DDA certificate are enclosed {Annexure-06 }                                                                                                                                           |
| x.       | The Catchment Area Treatment (CAT) Plan is required to be submitted and approved as per Para 9.2 (vii) of consolidated guidelines and clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. The copy of approved CAT plan shall be submitted as above shall be submitted.                                   | Copy of CAT Plan for approval is sent to DFO neemuch vide letter no. 1197 dated 14-05-2025 and same has been uploaded on PARIVESH portal.                                                                                      |
| xi.      | The user agency has proposed to establish many components over the forest land apart from proposing majority area of forest under submergence. However, justification behind proposing these components /purpose wise requirement of forest land has not been submitted with the proposal. The same needs submission.               | Justification report of dam and its components coming under forest has been enclosed. {Annexure-08 }                                                                                                                           |
| xiv.     | A copy of approved R&R plan and details of number of families going to affected due to instant project shall be uploaded online. In case of rehabilitation of people is involved, necessary correction in the Cost-Benefit Analysis is required to be made.                                                                         | Project does not involve submergence of residential settlement, therefore no R&R Plan required.                                                                                                                                |
| xv.      | The cost benefit analysis has been carried out on the old NPV rates. Therefore, the revised cost-benefit analysis as per latest NPV rates and keeping in view of all techno-economic factors as well as environmental factors and the calculation sheet on the benefits likely to generate due to instant project needs submission. | Cost benefit analysis on new NPV rates enclosed. {Annexure-09 }                                                                                                                                                                |

|       | Question                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Answer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xvi   | The state shall clarify as to how the requirement of electricity will be met by the user agency to run project and its components. The detail of forest area required for the purpose (if any) shall be submitted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | This dam is a ungated structure therefore there is no requirement of electricity on dam for the operation. Only gated component in dam is sluice while is operated manually only.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| xvii  | The details of distribution network like canals and pipelines, which may further have required diversion of forest land etc. had not been given. A holistic proposal is required to be submitted as forest land may be required for laying of underground pipelines as well. The State Govt. shall therefore provide the complete lay out plan indicating all the components like canal, pipelines etc. The detail of the area requirement for these components shall also be submitted keeping in view Para 9.1 of Chapter-9 of the consolidated guidelines and clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan), Adhiniyam, 1980. | The water conveyance system of the project is an open canal system with gravity flow. No forest is being affected in construction of canal. Line diagram of canal system is enclosed. {Annexure- 10 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| xviii | An approved copy of the muck-disposal plan needs submission. The state Govt. shall ensure that the user agency will not utilize the forest land for muck-disposal. A table showing the muck likely to be generated under each proposed components shall also be submitted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Muck disposal plan was already submitted. It is again enclosed for reference. {Annexure- 11 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| xx.   | As per the District Collector, Neemuch order dated 27.02.2018 has allotted 28.25 ha. land for CA against the instant project, out of which 4.11 ha is appeared as Proposed Forest land. This needs justification. Further, the people from Village Fusariya had shown dissent regarding the land allotted for CA . This needs clarification and the State Govt. shall also ensure that the land proposed for CA is free from all sort of encroachment and encumbrances.                                                                                                                                                                         | District Collector dated 27-02-2018 allotted 28.25 ha land for C.A.in Luva village,Retpura village, Jhantla village & 7.750 ha land in fusariya village. C.A. land was found appropriate in inspection done by user agency and forest department. Further, the people from Village Retpura had shown dissent regarding the land allotted for CA. Because of which new CA land was allotted by District Collector dated 31-03-2023 for above mentioned 28.25 ha land in village dabi CA land allotted in village fusariya (7.750 ha) vide order dated 27-02-2018 remains unchanged, copy of which is attached. {Annexure- 12 } |



|       | Question                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Answer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xxi.  | The District Collector, Neemuch vide order dated 10.05.2023 has allotted 22.51 ha Non-forest Govt. land to various irrigation projects of the State. Out of which 2 ha land has been allotted in the Village Bhagal whereas the State Forest Department in the Part-II form reported that 4.14 ha land has been proposed for CA in the Village Bhagal. This variation needs clarification and the District collector order indicating 4.14 ha land allotted in the Village Bhagal needs submission. | The District Collector, Neemuch vide order dated 10.05.2023, allotted CA land 3.75 ha in Bhagal village for this scheme. By mistake it was typed 4.14 ha which has been corrected and revised KML has been uploaded on Parivesh (Annexure-13)<br>Area of CA land allotted<br>1. Dabi- 28.25 Ha District Collector dated 31-03-2023<br>2. Bhagal- 3.75 Ha District Collector dated 10-05-2023<br>3. Haspur- 3.399 Ha District Collector dated 23-09-2021<br>4. Fusariya- 7.75 Ha District Collector dated 27-02-2018 |
| xxii. | The DSS analysis revealed the presence of Agricultural lands, Earthen dam and extraction of top soil (breaking of forest land for non-forestry work) within the proposed forest land for diversion. This needs clarification.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Earthwork of dam was executed in the forest region and the agricultural lands are of private cultivators in the dam submergence. Copy of private cultivators is enclosed. {Annexure- 14}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| xxiii | The DGPS map along with the KML files showing the proposed component wise utilization of the forest land as well as the Non-Forest land has not been submitted with the proposal. The same needs to be uploaded on PARIVESH.                                                                                                                                                                                                                                                                        | KML files showing the proposed component wise utilization of the forest land as well as the Non-Forest land has been submitted with the proposal and the same has been uploaded on PARIVESH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| xxiv  | As per DSS analysis, calculated area of Shape file/ KML file of Forest land proposed for diversion is found 55.946 ha instead of 43.149 ha as per proposal. Therefore, the correct KML file of the proposed forest land shall be uploaded.                                                                                                                                                                                                                                                          | 43.149 ha of land (in which 39.8 ha is in submergence, 3.19 ha is of spill and 0.159 ha is of canal) is coming under forest department and 11 ha land is either private or revenue land. Revised KML of proposed forest land has been uploaded.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| xxvi  | Satellite imagery shows some pre-plantation work along with some non-forestry work is also visible in one of the proposed CA patch namely village Bhagal. This needs clarification.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pre plantation on CA land is done by gram Panchayat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

  
 (Vimal Srivastava)  
 Executive Engineer  
 Water Resources Division Neemuch



प्रति,

कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग नीमच,  
मनासा नाका रोड, जिला नीमच  
मध्यप्रदेश।

विषय:- जिला नीमच के अंतर्गत गंगा बावडी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 36.00 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।  
संदर्भ:- बेवपोर्टल पर प्राप्त प्रस्ताव भाग-1 दिनांक 01.03.2018

—0—

विषयांतर्गत में लेख है, कि बेवपोर्टल पर गंगा बावडी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 36.00 हेक्टेयर वनभूमि पंत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव का भाग-1 प्राप्त हुआ। आनलाईन परीक्षण में प्रस्ताव के भाग-1 में निम्न कमियां पाई गयी है :-

1. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक A-1(iii) में परियोजना निर्माण के संबंध में संक्षिप्त टीप नहीं दी गयी है। पूर्ति करें।
2. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक A-3(xvii) में अपलोड प्राधिकृत पत्र का मिलान योजना का क्रियान्वयन करने के लिये प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक A-3(i) से (vi) तक में दी गयी जानकारी अनुसार नहीं है। जो मान्य नहीं। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये जाने का प्राधिकृत पत्र अपलोड करें।
3. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक B-2.4 में काम्पोनेंट वाईस ब्रेकप में प्रभावित गैर वनभूमि 0.00 हेक्टेयर दर्शायी गयी है। गैर वनभूमि 18.16 हेक्टेयर का उपयोग बांध निर्माण के कौन-कौन से कार्यों में होगा उसका विवरण दिया जावे।
4. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक C(ii)(a) में प्रभावित वनभूमि 36.00 हेक्टेयर की KML file की आकृति प्रदर्शित नहीं हो रही है। अतः सही KML file अपलोड करें।
5. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक C(iii) में प्रभावित वनभूमि की सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट के स्थान पर अन्य मानचित्र अपलोड किया है। प्रभावित वनभूमि को सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट पर चिन्हित कर हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें।
6. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक C(iv) में प्रभावित वनभूमि के जियो-रिफरेन्स मेप के स्थान पर क्षतिपूर्ति वनीकरण का मानचित्र अपलोड किया है। जियो-रिफरेन्स मेप की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें।
7. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक D(i) में प्रस्तावित वनभूमि न्यूनतम होने से संबंधित अन्य स्थलों का तुलनात्मक विवरण पत्रक एवं सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट पर प्रभावित स्थल एवं अन्य स्थल दर्शाते हुये मानचित्र की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड नहीं की गयी है। पूर्ति करें।
8. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक G(ii)(a) में योजना से संबंधित कास्ट बेनिफिट ऐनालिसिस के पत्रक भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 01.08.2017 (छायाप्रति संलग्न है) के निर्देश अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में नहीं है। अतः निर्देश अनुसार निर्धारित प्रपत्रों पर योजना का कास्ट बेनिफिट ऐनालिसिस तैयार कर अपलोड करें।
9. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक L(iv)(c) में गैर वनभूमि 28.25 हेक्टेयर की KML file की आकृति प्रदर्शित नहीं हो रही है। सही KML file तैयार कर अपलोड करें।



क्रमांक / 2021 /

मनासा, दिनांक :-

निरीक्षण टीप

वन विभाग मनासा, राजस्व विभाग मनासा, जल संसाधन विभाग मनासा एवं विधायक प्रतिनिधि द्वारा गंगा बावड़ी निर्माणाधीन डेम का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.01.2021 को कार्यालय अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (भू-प्रबंधन) भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ-3/393 दिनांक 23.01.2021 एवं कार्यालय वनमण्डल अधिकारी नीमच के पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 624 दिनांक 23.01.2021 द्वारा ली गई आपत्ति के निराकरण की पूर्ति के लिये संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया कि:-

1. मौका स्थल पर कक्ष क्रमांक 287, 290, 293 की R.F. (आरक्षित वन) लाइन के जी.पी.एस. रीडिंग के निर्देशांक निम्नानुसार है-

मुनारा क्रमांक 216 बीट- भेरपुरा

N-24°33'32.0" E-75°10'2.2"

मुनारा क्रमांक 218 बीट- पड़दा

N-24°33'46.2" E-75°10'08.2"

मुनारा क्रमांक 220 बीट- पड़दा

N-24°33'42.0" E-75°09'58.0"

मुनारा क्रमांक 217 बीट- भेरपुरा

N-24°33'40.0" E-75°10'08.8"

मुनारा क्रमांक 219 बीट- पड़दा

N-24°33'46.5" E-75°09'59.3"

मुनारा क्रमांक 221 बीट- पड़दा

N-24°33'39.8" E-75°09'52.0"

के अनुसार राजस्व क्षेत्र का रकबा 11.0 हे. पाया गया जिसकी सीमा लाइन नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है। संलग्न-नक्शा क्रमांक (1)

2. मौका पर बने मुनारों के जी.पी.एस. निर्देशांक निम्नानुसार है -

1. N-24°33'32.0" E-75°10'15.0" 2. N-24°33'34.8" E-75°10'20.5"

3. N-24°33'39.8" E-75°10'15.5" 4. N-24°33'39.4" E-75°10'11.1"

5. N-24°33'56.3" E-75°10'09.0" 4. N-24°33'48.9" E-75°10'00.5"

3. वनक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 287, 290, 293 की R.F. (आरक्षित वन) लाइन से जल संसाधन विभाग द्वारा F.T.L. की मार्किंग की गई जिसमें जो जल भरवा प्रस्तावित है, के जी.पी.एस. रीडिंग निर्देशांक निम्नानुसार है-

1. N-24°33'29.2" E-75°10'04.3" 2. N-24°33'30.1" E-75°10'05.2"

3. N-24°33'30.7" E-75°10'07.0" 4. N-24°33'30.9" E-75°10'07.2"

5. N-24°33'30.7" E-75°10'07" 6. N-24°33'31.1" E-75°10'08.0"

7. N-24°33'31.1" E-75°10'09.7" 8. N-24°33'31.1" E-75°10'10.3"

9. N-24°33'31.1" E-75°10'11.5" 10. N-24°33'31.0" E-75°10'12.3"

11. N-24°33'30.9" E-75°10'13.1" 12. N-24°33'30.9" E-75°10'13.5"

13. N-24°33'30.7" E-75°10'14.5" 14. N-24°33'30.6" E-75°10'15.3"

15. N-24°33'30.7" E-75°10'19.3" 16. N-24°33'29.7" E-75°10'19.0"

17. N-24°33'29.3" E-75°10'21.9" 18. N-24°33'29.3" E-75°10'26.9"

19. N-24°33'29.1" E-75°10'26.1" 20. N-24°33'30.2" E-75°10'35.1"

21. N-24°33'29.1" E-75°10'32.3" 22. N-24°33'30.3" E-75°10'40.3"

23. N-24°33'31.3" E-75°10'38.2" 24. N-24°33'32.3" E-75°10'33.3"

25. N-24°33'34.4" E-75°10'33.7" 26. N-24°33'34.5" E-75°10'31.7"



उपरोक्त 08 पट्टेदारों को जल संसाधन/राजस्व विभाग द्वारा अधिग्रहण कर मुआवजा वितरित किया जा चुका है, लेकिन उक्त सर्वे नं एवं रकबा का म.प्र. शासन से डिनोटिफिकेशन नहीं हुआ पाया।

संलग्न:-1. नक्षा क्रमांक (1 व 2)

2. नक्षा क्रमांक (3)। नजरीचा नक्षा

3. असाधारण राजपत्र./भोपाल/मंगलवार/12 नवम्बर 1990 की छायाप्रति

4. कार्यालय तहसीलदार तहसील मनासा जिला नीमच के पत्र क्र 274/रीडर-1/2021/ मनासा दिनांक 09.02.2021 के पृष्ठ क्र.01 से 59 तक एक प्रति में नस्ती संलग्न।

वन विभाग मनासा, राजस्व विभाग मनासा, जल संसाधन विभाग मनासा एवं विधायक प्रतिनिधि द्वारा गंगा बावड़ी निर्माणाधिन डेम का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.01.2021 को किया गया। जिसमें उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी-

#### ❖ वनविभाग

| क्र. | नाम                 | पद                          | हस्ताक्षर |
|------|---------------------|-----------------------------|-----------|
| 01.  | श्री एस. डे. उग्रह  | उप वन प्रमुख अधिकारी मनासा  |           |
| 02.  | श्री. सलीम मन्सूरी  | वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा |           |
| 03.  | " दिनेश पाटील       | परिक्षेत्र सहायक पड़दा      |           |
| 04.  | " हेमन्त बाखर       | बीट अधिकारी भोरपुरा         |           |
| 05.  | " सुहृद शर्मा       | बीट अधिकारी पड़दा           |           |
| 06.  | " रमजीत सिंह बोराना | पूर्व बीट अधिकारी भोरपुरा   |           |

#### ❖ जल संसाधन विभाग

| क्र. | नाम               | पद                 | हस्ताक्षर |
|------|-------------------|--------------------|-----------|
| 01.  | श्री. एच. डी. डार | कार्यालय मंत्री    |           |
| 02.  | श्री. ए. सिद्धीची | जल संसाधन निरीक्षक |           |
|      |                   | उपसंभागा, रामपुरा  |           |

#### ❖ राजस्व विभाग

| क्र. | नाम                     | पद                      | हस्ताक्षर |
|------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 01.  | श्री. एम. राजेश मन्सूरी | श्री. एम. राजेश मन्सूरी |           |
| 02.  | तहसीलदार मनासा          | तहसीलदार मनासा          |           |
| 03.  | RT                      | दिनेश मन्सूरी           |           |
| 04.  | श्री. ए. प. 454         | दीपक मन्सूरी            |           |
| 05.  |                         |                         |           |
| 06.  |                         |                         |           |

❖ विधायक प्रतिनिधि

| क.  | नाम               | पद               | हस्ताक्षर |
|-----|-------------------|------------------|-----------|
| 01. | डामन कुमार जीपातव | विधायक प्रतिनिधि |           |

(मोहम्मद सलीम मन्सूरी)  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
वन परिक्षेत्र मनासा

क्रमांक / 2021 / 402  
प्रतिलिपि:-

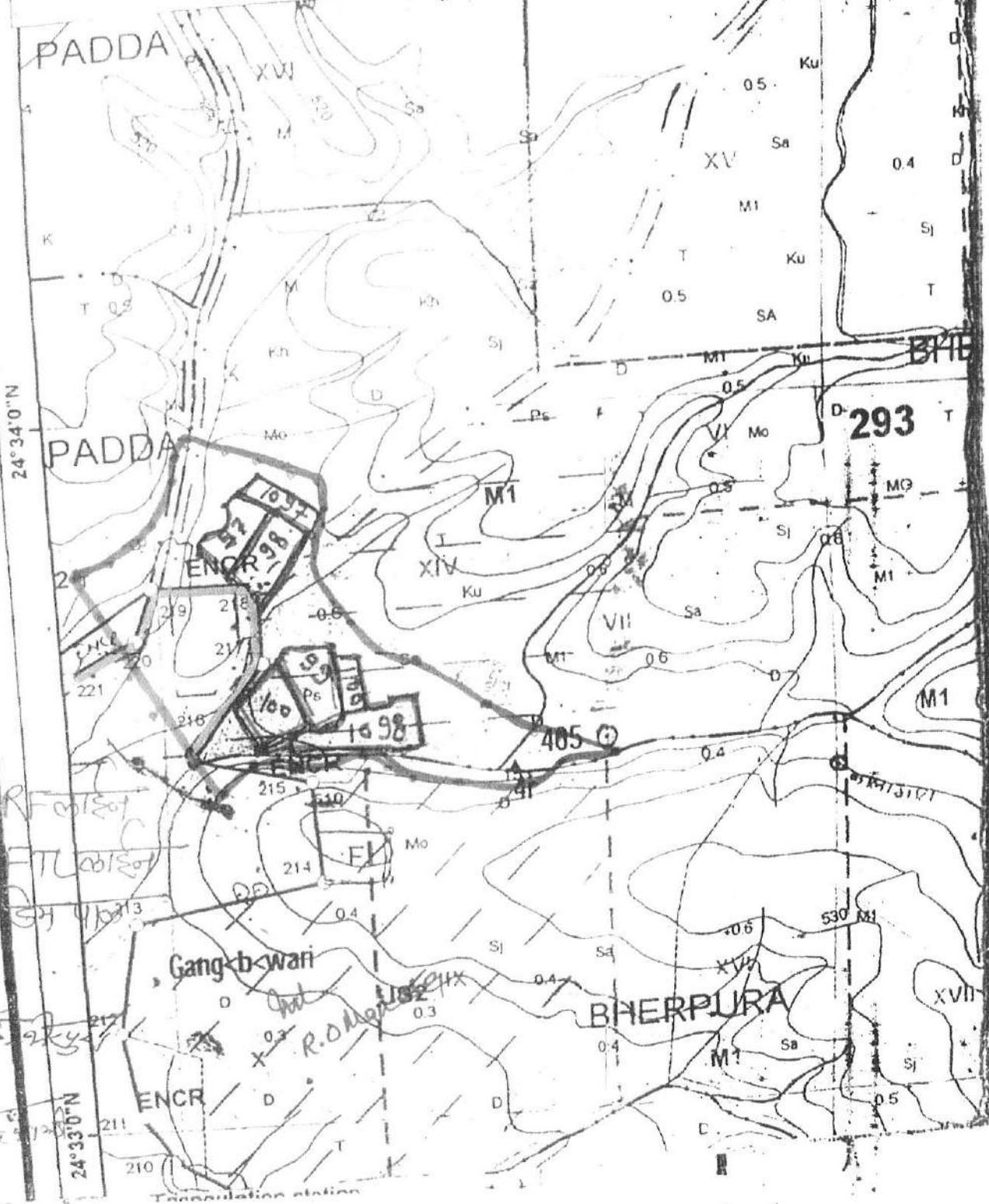
मनासा, दिनांक :- 16.3.2021

01. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग जिला नीमच की ओर सूचनार्थ।
03. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मनासा की ओर सूचनार्थ।
04. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग मनासा की ओर सूचनार्थ।
05. उपवनमण्डलाधिकारी, उपवनमण्डल मनासा की ओर सूचनार्थ।
06. तहसीलदार, राजस्व मनासा की ओर सूचनार्थ।

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
वन परिक्षेत्र मनासा



BEET - BHERPURA  
DIVISION - NEEMUCH  
RANGE - MANASA



राजस्थान - 3

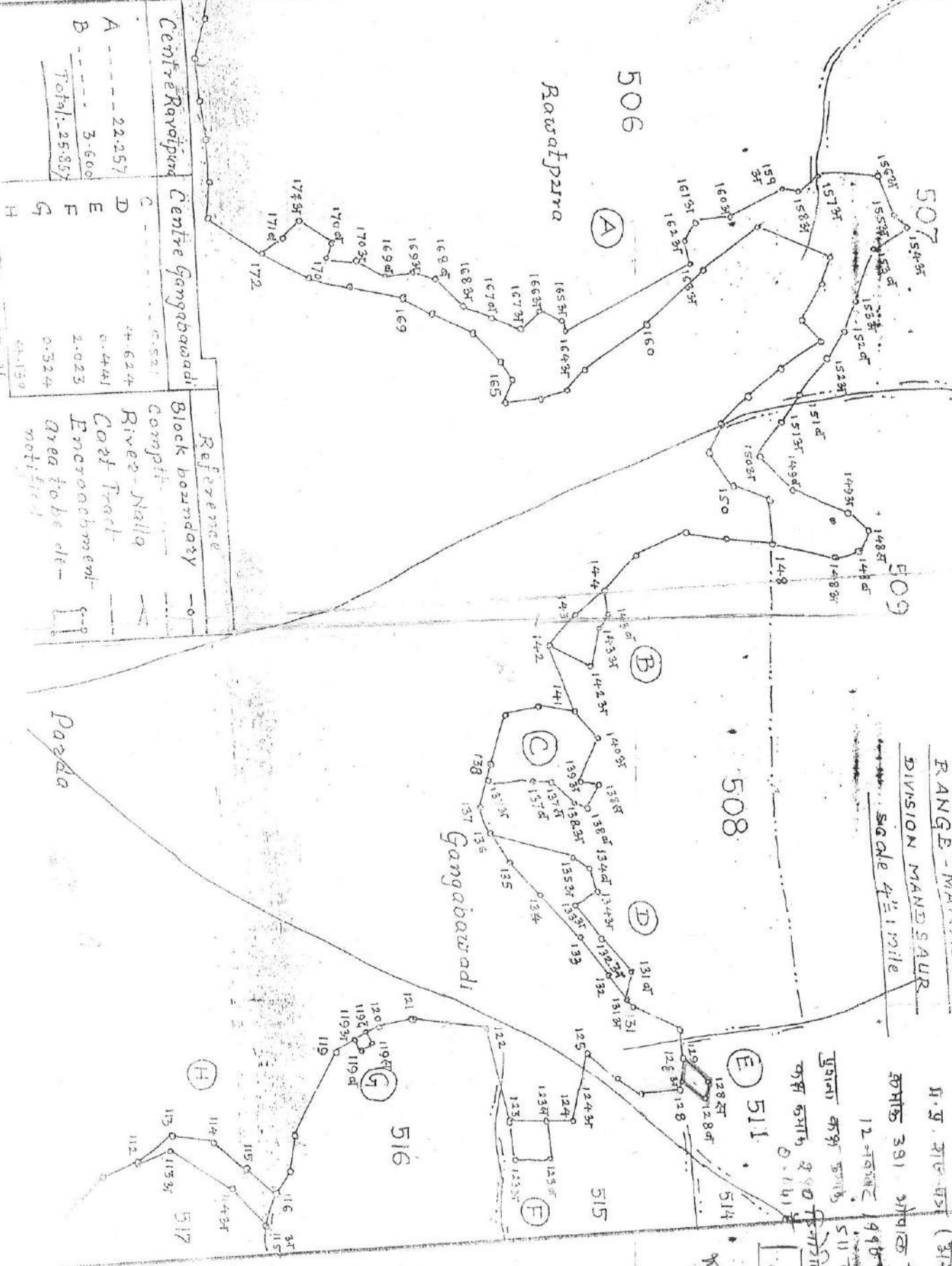
R. BLOCK KANJARDA  
RANGE - MANASA  
DIVISION MANDSAUR

Scale 4 1/2 mile

म.प्र. राज. (अ.स. 11/1/79)  
क्रमांक 391 मणिक मोहोबा  
12 मणिक  
मुसली क.स. 290  
क.स. क्रमांक 0.141  
मणिक 511  
मणिक 514  
मणिक 515  
मणिक 516  
मणिक 517

27

R.O. Narsa



| Centre Rawatpara | Centre Gangabawadi |
|------------------|--------------------|
| A --- 22.257     | C --- 0.521        |
| B --- 3.600      | D --- 24.624       |
| E --- 0.441      | E --- 0.441        |
| F --- 2.023      | F --- 2.023        |
| G --- 0.324      | G --- 0.324        |
| H --- 0.139      | H --- 0.139        |
| Total: 25.857    | Total: 30.416      |

| Block boundary | Comp. River Nalla |
|----------------|-------------------|
| --- 0.521      | --- 0.521         |
| --- 24.624     | --- 24.624        |
| --- 0.441      | --- 0.441         |
| --- 2.023      | --- 2.023         |
| --- 0.324      | --- 0.324         |
| --- 0.139      | --- 0.139         |
| --- 30.416     | --- 30.416        |

| Encroachment Area to be notified |
|----------------------------------|
| --- 0.521                        |
| --- 24.624                       |
| --- 0.441                        |
| --- 2.023                        |
| --- 0.324                        |
| --- 0.139                        |
| --- 30.416                       |



Ungga Bawdi



Forest Area 39.84 %

Revenue 11 hac



Z

M

К

G

Q

2

A

2



工

(2)  $\{I, 5, 6, H, I, 5, K, L, M\}$

० पृष्ठ A बगल पृष्ठ ३२-८५

卷之四

714

100

1980-1981

400





# मध्य प्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 391]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 नवम्बर 1990—कार्तिक 21, मार्च 1912

## वन विभाग

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 1990

क्र. एफ. 5-81-89-इस-तीन-(12) भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विभिन्न विष्ट किया गया वन या वन का भाग जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1623-एक्स-एफ-114, तारीख 9 अक्टूबर 1964 द्वारा रक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था. इस अधिसूचना के "मध्य प्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित हो जाने की तारीख से रक्षित वन रहेंगे—

### अनुसूची

जिला—मंदसौर, डिवीजन—क्षेत्रीय मंदसौर, तहसील—मनासा, परिक्षेत्र—मनासा,

सीमाएं

| अ. क्र. | आरक्षित वन खण्ड का नाम | अतिक्रमण केन्द्र का नाम व क्रमांक | प्रकोष्ठ क्रमांक (हेक्टर म) | रकबा   |
|---------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|
| (1)     | (2)                    | (3)                               | (4)                         | (5)    |
| 1       | कंजार्डा               | रावतपुरा (ए)                      | 506                         | 22.259 |
|         |                        | 4.5                               | 507                         |        |
|         |                        |                                   | 509                         |        |

उत्तर-नई सीमा रेखा के पिलर नं. 156 अ से 148 ब.  
पूर्व-नई सीमा रेखा के पिलर नं. 148 ब से पुरानी सीमा रेखा  
कंजार्डा आरक्षित वन का पिलर नं. 148.

दक्षिण-कंजार्डा आरक्षित वन खण्ड की पुरानी सीमा रेखा के पिलर  
नं. 148 से 172 तक.

पश्चिम-पुरानी रेखा के पिलर नं. 172 से नई रेखा के पिलर नं.  
156 ए.

" (बी) 508 3.600 उत्तर-पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 144 से नई सीमा रेखा के  
पिलर नं. 142 अ.

पूर्व-नई सीमा रेखा के पिलर नं. 142 अ से पुरानी रेखा सीमा  
रेखा के पिलर नं. 142 आरक्षित वन खण्ड कंजार्डा.

दक्षिण-कंजार्डा आरक्षित वन खण्ड की पुरानी रेखा के पिलर नं.  
142 से 143 तक.

पश्चिम-आरक्षित वन कंजार्डा की पुरानी रेखा के पिलर नं. 143  
से 144 तक.

योग . . . रावतपुरा केन्द्र 25.857



| (1) | (2)      | (3)                        | (4) | (5)   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------|----------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | कंजार्डी | गंगाबावडी (शी)<br>10 से 13 | 508 | 5.521 | उत्तर-आरक्षित वन कंजार्डी के पुराने पिलर नं. 141 सीमा रेखा के पिलर नं. 138 ब.<br>पूर्व-नई रेखा के पिलर नं. 138 ब से पुरानी रेखा पिलर नं. 137 अ.<br>दक्षिण-पुरानी रेखा के पिलर नं. 137 अ से कंजार्डी खण्ड की पुरानी रेखा के पिलर नं. 139.<br>पश्चिम-आरक्षित वन कंजार्डी की पुरानी रेखा के पिलर नं. 139 से 141 तक. |
|     | कंजार्डी | गंगाबावडी (डी)<br>10 से 13 | 508 | 4.624 | उत्तर-नई सीमा रेखा के पिलर नं. 135 अ पुरानी रेखा के पिलर नं. 131 अ.<br>पूर्व-पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 131 अ से 136 तक.<br>दक्षिण-पुरानी सीमा रेखा का पिलर नं. 136.<br>पश्चिम-पुरानी सीमा रेखा का पिलर नं. 136 नई रेखा का पिलर नं. 135 अ.                                                                     |
|     |          | (इ)                        | 511 | 0.441 | उत्तर-नई सीमा रेखा के पिलर नं. 128 अ से 128 ब.<br>पूर्व-नई सीमा रेखा के पिलर नं. 128 ब से पुरानी रेखा के पिलर नं. 128 अ.<br>दक्षिण-पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 128 अ से 129.<br>पश्चिम-पुरानी रेखा के पिलर नं. 129 से नई सीमा रेखा के पिलर नं. 128 अ.                                                           |
|     |          | (एफ)                       | 511 | 2.023 | उत्तर-पुरानी रेखा के पिलर नं. 123 अ से नई रेखा के पिलर नं. 123 ब.<br>पूर्व-नई रेखा के पिलर नं. 123 ब से 123 अ.<br>दक्षिण-नई रेखा के पिलर नं. 123 अ से पुरानी रेखा के पिलर नं. 123.<br>पश्चिम-पुरानी रेखा के पिलर नं. 123 से 123 अ आरक्षित वन खण्ड कंजार्डी.                                                      |
|     |          | (जी)                       | 516 | 0.324 | उत्तर-पुरानी रेखा के पिलर नं. 119 अ रेखा के पिलर नं. 119 अ.<br>पूर्व-नई रेखा के पिलर नं. 119 अ से 119 अ तक.<br>दक्षिण-नई रेखा के पिलर नं. 119 ब से पुरानी रेखा के पिलर नं. 119 अ.<br>पश्चिम-पुरानी रेखा के पिलर नं. 119 अ से 119 ब आरक्षित वन खण्ड कंजार्डी.                                                     |

*Dr. R.D. Manohar*

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्षा भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-3/62/2018/10-11/16/213

भोपाल, दिनांक 23-1-21

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल, नीमच

मध्य प्रदेश।

विषय:- जिला नीमच के अंतर्गत गंगाबावडी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 36.00 हेक्टेयर वन भूमि जल संवर्धन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

—0—

विभागालय पर आर.ई.सी. की बैठक में चर्चा की गई जिसमें DSS के अनुसार गैर वन भूमि के स्थान पर वन भूमि पर कार्य किया जाना पाया गया है।

अतः प्रभावित वन भूमि 36.00 हेक्टेयर का स्थल निरीक्षण करें तथा अवगत करावे कि वास्तव में कार्य आवेदक संस्था द्वारा किस भूमि पर कराया गया है।

(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल



62-21



वनमण्डलाधिकारी  
सामान्य वनमण्डल, नीमच,  
मध्य प्रदेश।

विषय:- गंगावावडी तालाब निर्माण के लिये 36.00 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 25.02.2020

—0—

इस प्रस्ताव पर दिनांक 25.02.2020 को चर्चा की गई। प्रस्ताव पर चर्चा करने पर यह पाया गया कि आवेदक संस्था द्वारा मौके स्थल पर कुछ वन क्षेत्र में स्वीकृति के पूर्व ही कार्य कर लिया है।

इस बैठक में आवेदक संस्था के अधिकारी उपस्थित थे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया है वह राजस्व क्षेत्र में किया गया है।

वन विभाग के डिजिटाइज्ड नक्शों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि आवेदक संस्था ने कुछ वन क्षेत्र में कार्य कर लिया है। सम्भव है कि विभाग के डिजिटाइज्ड नक्शों में कुछ त्रुटि हो।

अतः आप वन विभाग की 1:50,000 स्केल की टोपोग्राफी पर आवेदक संस्था द्वारा चर्चा गई 36.00 हेक्टेयर वन भूमि में अंकित कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि उसका परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार निर्णय लिया जा सके।

इसके अतिरिक्त आवेदक संस्था द्वारा प्रकरण में क्षतिपूर्ति बनीकरण के लिये जो 36.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि दो टुकड़ों में उपलब्ध कराई है। इस उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि में बड़े टुकड़े की KML फाईल काफी लगभग 62.00 हेक्टेयर की आ रही है। आवेदक संस्था को 36.00 हेक्टेयर की KML फाईल प्रस्तुत करने के निर्देश दे।

साथ ही प्रस्ताव में प्राप्त 36.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि की 11 वर्षीय रोपण योजना इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.12.2019 के अनुसार तैयार कर तकनीकी स्वीकृति सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23/2/2020

पृ० क्रमांक/एफ-3/82/2018/10-11/16/575

प्रतिनिधि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच, जिला नीमच, मध्यप्रदेश।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

5/10031/2022



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL  
Paryavaran Parivartan Bhavan, Unit Road No.3, E-3, Navi Shankar Nagar,  
BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2406525 E-mail: [govt.ubi-mepk@nic.in](mailto:govt.ubi-mepk@nic.in)

File No. 6-MPC 011/2020-BHO/

Date: 26/07/2022

प्रति

अधीन सचिव (वन),

मध्यप्रदेश शासन,

जलवायु भवन, भोपाल

आयुक्त (वन)।

उपरोक्त विषय के अन्तर्गत वन क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन के निम्नानुसार 39,399 हेक्टर आरक्षित  
क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के अन्तर्गत वन क्षेत्रों को उपयोग में लेने के लिए।

अधीन प्रमुख वन संरक्षक (भू-प्रयोग) म.प्र. का पत्र क्रमांक एफ-3/82/2018/10-11/18/1895 दिनांक  
27.03.2022

संदर्भ

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के संदर्भ में आवाहनकारी को यह अधिसूचना का निदेश हुआ है कि  
सम्बन्धित वन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के अन्तर्गत वन क्षेत्रों की आवश्यकता है - अतः निम्नलिखित जानकारी/ दस्तावेज  
जिसे निम्नलिखित जानकारी के लिए है -

1. As per DSS analysis, the proposed diversion KML area becomes 43,149 ha. It shall be re-checked.
2. As per DSS analysis, about 190 meter of dam axis has been constructed. Details of relocation report shall be submitted.
3. Proposed ringfenced area shall be submitted.
4. Alternative alignment of proposed diversion area with KML file shall be submitted.
5. Justification for location of the project in forest land (countersigned by DFO) not submitted/ uploaded on web portal.
6. Detailed truck calculation and truck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.
7. Technical economic clearance of the project shall be submitted.
8. Hectare-wise break-up of 39,399 ha and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में अगामी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय





कार्यालय  
वनमण्डलाधिकारी,  
नीमच (म.प्र.)

E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in

Phone No. (07423) 226605

क्रमांक/मा.चि./2023/ 7114  
प्रति

नीमच, दिनांक:- 24.11.23

कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग, नीमच

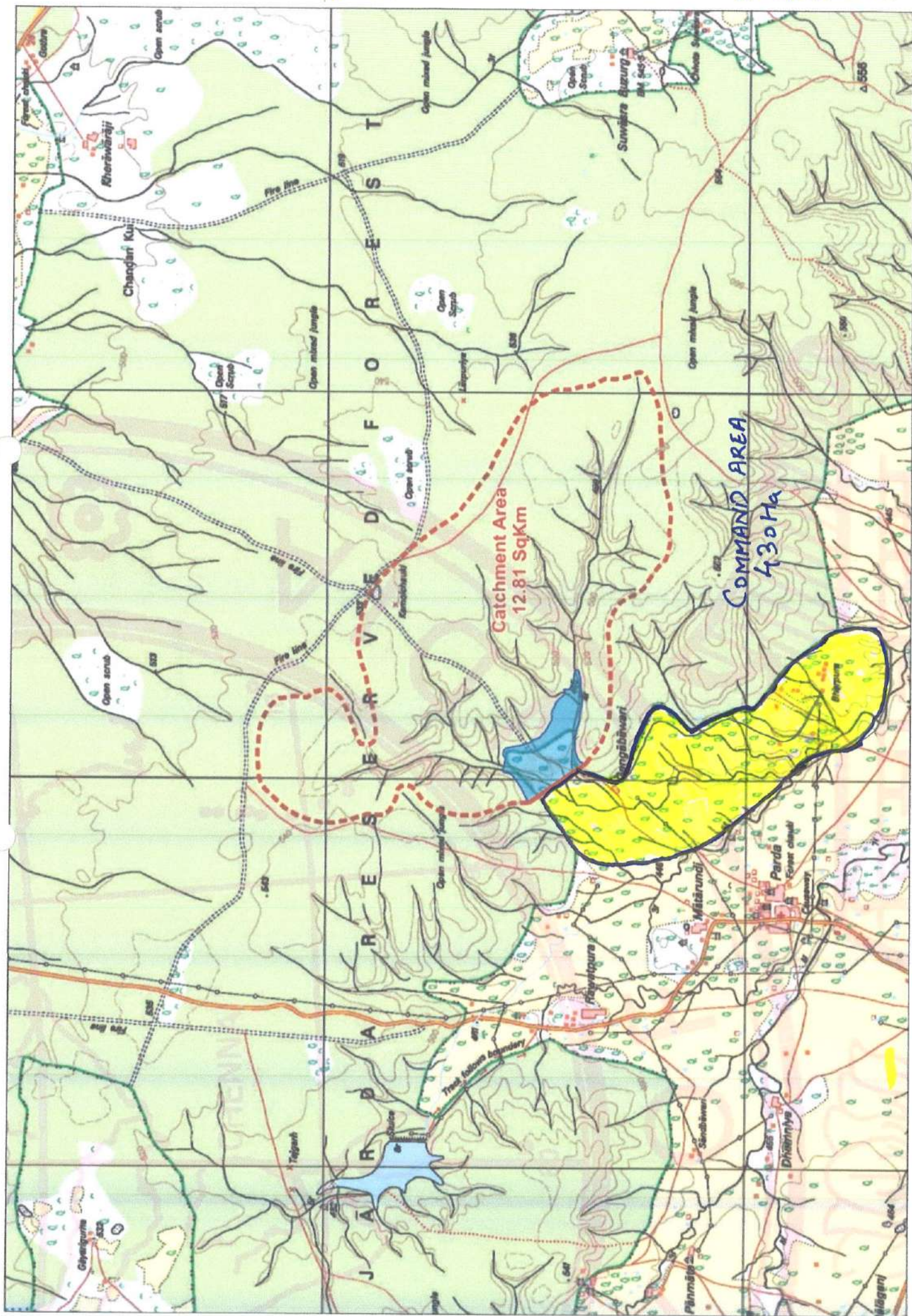
विषय:- जिला नीमच के अंतर्गत गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 43.149 (पूर्व में 39.999 हे.) हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।  
संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC011/2020-BHO दिनांक 26.07.2022 एवं आपका पत्र क्रमांक/2576/कार्य/गंगाबावड़ी ता./2023 दिनांक 16.10.2023

विषयांकित प्रकरण में लेख हैं, कि आपके द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 16.10.2023 से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 05 एवं 06 की जानकारी तैयार की जाकर वनमण्डलाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। जिसके तारतम्य में उपरोक्त जानकारी प्रतिहस्ताक्षरित की जाकर पत्र के संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
(एस.के. अढोदे)  
(I.F.S.)  
वनमण्डलाधिकारी  
वनमण्डल नीमच







# GANGA BAWARI TANK PROJECT

Tehsil :- Manasa

Distt. :- Neemuch

## SALIENT DATA

### (1) GENERAL DATA :-

- |     |                      |   |                           |
|-----|----------------------|---|---------------------------|
| 01. | District             | : | Neemuch                   |
| 02. | Tehsil               | : | Manasa                    |
| 03. | River or Nalla       | : | Local Nalla               |
| 04. | Location of dam site | : | Near village Ganga Bawari |
| 05. | Name of River basin  | : | N.T. Basin                |
| 06. | Topo sheet No.       | : | 45-P/2                    |
| 07. | Latitude             | : | 24°-33'-30"               |
| 08. | Longitude            | : | 75°-10'-0"                |

### (2) HYDROLOGICAL DATA :-

- |     |                             |   |                      |
|-----|-----------------------------|---|----------------------|
| 01. | Mean rain fall              | : |                      |
|     | (a) Annual                  | : | 33.86 Inch (860 mm.) |
|     | (b) Monsoon                 | : | Monsoon not observed |
| 02. | Mean monsoon run off/Yield  | : | 3.055 Mcum           |
|     | Calculated by Binnies Table |   |                      |
|     | to be entered here with 90% |   |                      |
|     | diminution factor.          |   |                      |

### 03. FLOOD :-

- |     |                     |   |              |
|-----|---------------------|---|--------------|
| (a) | Maximum observed    | : | Not observed |
| (b) | Maximum adopted     | : | 161.84 cumec |
|     | formula to be given | : |              |
|     | $Q = CM^{0.84}$     |   |              |



### III- RESERVOIRA DATA :-

|     |                                                      |   |                               |
|-----|------------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| 01. | Catchment area                                       | : | 4.945 Sqmiles or 12.81 Sq.Km. |
| 02. | (a) Geology of area                                  | : | Hilly and partly cultivated   |
|     | (b) Hilly wooded/party wooded                        | : | Hilly partly wooded.          |
| 03. | Dependable yield with 100%<br>diminishing factor     | : | 2.267 Say 2.70 M Cum          |
| 04. | Gross storage capacity                               | : | 2.444 M Cum                   |
| 05. | Dead storage capacity                                | : | 0.300 M Cum                   |
| 06. | Percentage of gross storage<br>to mean mansoon yield | : | 80%                           |
| 07. | Percentage of dead storage to<br>gross storage       | : | 12.27%                        |
| 08. | Full tank level                                      | : | RL 108.60 M                   |
| 09. | Maximum water level                                  | : | RL 109.80 M                   |
| 10. | Top bund level                                       | : | RL 111.80 M                   |
| 11. | Lowest sill level                                    | : | RL 102.10 M                   |
| 12. | Water spread area at FTL.                            | : | 52.18 Hact.                   |
| 13. | Water spread area at MWL.                            | : | 56.32 Hact.                   |

### IV. DAM DATA :-

|     |                                             |   |                 |
|-----|---------------------------------------------|---|-----------------|
| 01. | Earth                                       | : | 675.00 Meter    |
| 02. | Concrete (Waste weir) Flush Bar             | : | 74.00 Meter     |
| 03. | Maximum Height of Dam                       | : | 15.35 Meter     |
|     | (a) Earth                                   | : | N.A.            |
|     | (b) Masonry/Concrete                        | : | 5.00 Meter      |
|     | (c) Top width of dam                        | : |                 |
| 04. | Quantity of earth work                      | : | As per estimate |
|     | (a) Earth                                   | : | As per estimate |
|     | (b) Masonry                                 | : | 74.00 Meter     |
| 05. | Length of waste weir                        | : | 161.84 Cumec    |
| 06. | Maximum moderate discharge<br>of waste weir | : |                 |

V. CANAL :-

|     |                                     |   |                |
|-----|-------------------------------------|---|----------------|
| 01. | Length of L.B.C. canal              | : | 2.73 Km        |
| 02. | Head discharge                      | : | 0.487 Cumec    |
| 03. | Duty adopted                        | : | 80 acre/cusecs |
| 04. | Tank duty in case Kharif Irrigation | : | N.A.           |

VI. DELTA (AT THE FIELD) :-

|     |              |   |              |
|-----|--------------|---|--------------|
| 01. | Hybrid Wheat | : | 450 - 650 mm |
| 02. | Gram         | : | 150 - 200 mm |
| 03. | Mustered     | : | 150 - 200 mm |

VII AREA COMMANDED (AGRICULTURE STATISTIC) :-

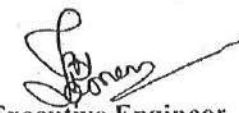
|     |                                    |   |                   |
|-----|------------------------------------|---|-------------------|
| 01. | No. of village to be benefited     | : | 4 Nos.            |
| 02. | Total area commanded               | : | 490 Hact.         |
| 03. | Total cultrable area               | : | 430 Hact.         |
| 04. | Existing and proposed crop pattern | : | Existing Proposed |
|     | (i) Kharif                         | : | - Ha. - Ha.       |
|     | (ii) Rabi                          | : | 80 Ha. 430 Ha.    |
|     | (iii) Submergence                  | : | - -               |
|     | (iv) Other crops by name           | : | - -               |
|     | <b>Total</b>                       | : | 80 Ha. 430 Ha.    |
| 05. | Designed Rabi Irrigation           | : | 430 Hact.         |



### VIII - FINANCIAL :-

01. Estimated Cost  
Unit - I Head work : 1383.10 Lakhs 2022.84 lakh  
Unit - II Canal : 118.14 Lakhs. 206.89 lakh  
Total :- : 1501.24 Lakhs 2229.73 lakh.
02. Cost per Hector : Rs. 3,49,125/- 30200/-
03. USR : For works of MPWRD  
w.e.f. 01-04-2016 2017

  
Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub Division  
Rampura

  
Executive Engineer  
Water Resources Division  
Neemuch (M.P.)

MONTHLY CROP WATER REQUIREMENT

| S. No | Name of Crop                | Area in Hact. | Annual Delta (in M) | Month Wise Water Requirement |      |      |      |               |               |               |               |      |      |     |      | Total Requirement |
|-------|-----------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----|------|-------------------|
|       |                             |               |                     | July                         | Aug. | Sep. | Oct. | Nov.          | Dec.          | Jan.          | Feb.          | Mar. | Apr. | May | June |                   |
| 1     | 2                           | 3             | 4                   | 5                            | 6    | 7    | 8    | 9             | 10            | 11            | 12            | 13   | 14   | 15  | 16   | 17                |
| 1     | Rabi<br>(1) Hybrid<br>Wheat | 232           | 0.45-0.65           | -                            | -    | -    | -    | 0.15<br>0.348 | 0.15<br>0.348 | 0.15<br>0.348 | 0.15<br>0.348 | -    | -    | -   | -    | 0.60<br>1.392     |
|       | (2) Mustered                | 108           | 0.15-0.20           | -                            | -    | -    | -    | 0.10<br>0.108 | 0.10<br>0.108 | -             | -             | -    | -    | -   | -    | 0.20<br>0.216     |
|       | (3) Gram                    | 90            | 0.15-0.20           | -                            | -    | -    | -    | 0.10<br>0.090 | 0.05<br>0.045 | -             | -             | -    | -    | -   | -    | 0.15<br>0.135     |
|       | Total                       | 430           | -                   | -                            | -    | -    | -    | 0.546         | 0.501         | 0.348         | 0.348         | -    | -    | -   | -    | 1.742<br>MCws     |

*[Signature]*  
Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub Division  
Rampura

*[Signature]*  
Executive Engineer  
Water Resources Division  
Neemuch

*[Signature]*  
Deputy Director  
Agriculture Neemuch

2

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, NARMADA TAPTI BASIN,  
WATER RESOURCES DEPARTMENT, INDORE

Order No. 184 / W-22/ NT/ 16

Indore, Date 5.4.16

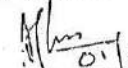
TECHNICAL SANCTION ORDER

In exercise of powers delegated to me by Govt of M.P. Finance Department, Book of Finance Order No. 184 / W-22/ NT/ 16 dated 05.10.1995 vide order No. G/17/1/95/C/IV Dated 05.10.1995 Item No. 18 Technical Sanction to the work of Ganga Bawari Tank Project, Unit-I (Head work) and Unit-II (Canal Works) of Tehsil Manasa, District Neemuch amounting to Total Rs.513.94 Lakhs (Rs. Five Crore Thirteen Lakhs ninety four thousand) only is hereby accorded as per General Abstract enclosed.

The Technical Sanction is subject to following conditions:-

- 1- The expenditure should be debited to head of account 45/4702 Construction work of Ganga Bawari Tank Project Unit-I Head works and Unit-II Canal.
  - 2- In case any addition, alteration or modification is required during execution, prior approval in writing should be obtained from competent authority.
  - 3- Expenditure should not exceed the amount of technical sanction and allotment.
  - 4- Where ever design mix is used grading of coarse and fine aggregates will be maintained as per design mix. Testing should be done as per quality control norms at specified intervals.
  - 5- Sanction is based on Estimates, design submitted by the Executive Engineer, Water Resources Division Neemuch & Recommended by Superintending Engineer, Water Resources Circle Ujjain.
  - 6- Cut off shall be approved by competent authority.
  - 7- 100% utilizable & suitable material obtained from excavation shall be used for casing and backfill zone for earth work of flanks and masonry works.
  - 8- Provision of concrete channel spillway is based on the trial pit data. however during actual excavation hard rock is found the revised sanction for design and fluming will be immediately obtained and concerning executive Engineer shall be responsible only for any consequences.
  - 9- Stability Analysis from recognized institute shall be done for the section and accordingly required sanction for revised cross section will be obtained from competent authority. Without carrying out stability analysis, work shall not be put to tender started.
  - 10- The lead provided in the estimate should not be the basis for payment.
- The Technical sanction is entered in T.S. this office Register No. 2 of 2016-17

Encl: General Abstract

  
01/04/16  
(M.S. BAWAR)  
Chief Engineer

Narmada Tapti Basin,  
Water Resources Department, Indore

Indore, Date 5.4.16

Encl. No. 184 / W-22/ NT/ 16

Copy forwarded to:-

- 1- The Engineer-in-Chief Water Resources Department, Bhopal.
- 2- The Accountant General of M.P. Bhopal.
- 3- The Superintending Engineer- Water Resources Circle Ujjain. for information and necessary action please.
- 4- Executive Engineer Water Resources Division Neemuch for information and necessary action please.
- 5- Budget Section of this office.

Encl: General Abstract

  
01/04/16  
Chief Engineer  
Narmada Tapti Basin,  
Water Resources Department, Indore



OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER NARMADA TAPTI BASIN,  
WATER RESOURCES DEPARTMENT, INDORE

GENERAL ABSTRACT

Estimate No.  
Grant No.  
Major Head

:: C.E.'s Register No. 2.....2016-17  
45/4702  
:: 4702 Minor irrigation Scheme  
Construction work of GANGA BAWARI TANK  
PROJECT. Unit-I Head works & Unit-II Canal  
Tehsil Mahasa & Distt. Neemuch

| No | Name of work        | Qty                     | Unit                       | Rate | Cost in Lacs |
|----|---------------------|-------------------------|----------------------------|------|--------------|
| 2  | 3                   | 4                       | 5                          | 6    |              |
| 1- | Unit-I Head work    |                         |                            |      |              |
|    | (i) "C" Masonry     | As per details estimate | Based on U.S.R. 01.04.2016 |      | 25.70        |
|    | (ii) "L" Earth work |                         |                            |      | 408.01       |
|    |                     |                         | Total:                     |      | 433.71       |
| 2- | Unit-II Canal work  |                         |                            |      |              |
|    | (i) "C" Masonry     | As per details estimate | Based on U.S.R. 01.04.2016 |      | 64.60        |
|    | (ii) "L" Earth work |                         |                            |      | 15.63        |
|    |                     |                         | Total:                     |      | 80.23        |
|    |                     |                         | Grand Total                |      | 513.94       |

(Rs. Five Crore Thirteen Lakhs ninety four Thousand only)

Estimate framed & Checked by:

(Sanjay Kohad)  
Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub Division  
Rampura (M.P.)

Rates & Provision checked and submitted by

(P.N. Samindar)  
Executive Engineer  
Water Resources Division  
Neemuch (M.P.)

Recommended by:-

(H.N. Gupta)  
Superintending Engineer  
Water Resources Circle, Ujjain

Checked by:-

(Kavita Dangi)  
Assistant Engineer (D)  
Office of the Chief Engineer  
Narmada Tapti Basin, Indore

Recommended by:-

(S.L. Rathore)  
Executive Engineer (D)  
Office of the Chief Engineer  
Narmada Tapti Basin, Indore  
Water Resources Department, Indore

Technically Sanctioned for Rs. 513.94 Lacs only (Rs Five Crore Thirteen Lakhs ninety four Thousand only)

(M.S.D. SWAR)  
Chief Engineer  
Narmada Tapti Basin,  
Water Resources Department, Indore

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल  
 फ-3/82/2018/10-11/16/663 भोपाल, दिनांक 07/03/18

प्रति, कार्यपालन यंत्री,  
 जल संसाधन संभाग नीमच,  
 मनासा नाका रोड, जिला नीमच  
 मध्यप्रदेश।

विषय:- जिला नीमच के अंतर्गत गंगा बावडी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 36.00 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।  
 संदर्भ:- बेवपोर्टल पर प्राप्त प्रस्ताव भाग-1 दिनांक 01.03.2018

—0—

विषयांतर्गत में लेख है, कि बेवपोर्टल पर गंगा बावडी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 36.00 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव का भाग-1 प्राप्त हुआ। आनलाईन परीक्षण में प्रस्ताव के भाग-1 में निम्न कमियां पाई गयी है :-

1. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक A-1(iii) में परियोजना निर्माण के संबंध में संक्षिप्त टीप नहीं दी गयी है। पूर्ति करें।
2. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक A-3(xvii) में अपलोड प्राधिकृत पत्र का मिलान योजना का क्रियान्वयन करने के लिये प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक A-3(ii) से (vi) तक में दी गयी जानकारी अनुसार नहीं है। जो मान्य नहीं। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये जाने का प्राधिकृत पत्र अपलोड करें।
3. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक B-2.4 में काम्पोनेंट वाईस ब्रेकप में प्रभावित गैर वनभूमि 0.00 हेक्टेयर दर्शायी गयी है। गैर वनभूमि 18.16 हेक्टेयर का उपयोग बांध निर्माण के कौन-कौन से कार्यों में होगा उसका विवरण दिया जावे।
4. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक C(ii)(a) में प्रभावित वनभूमि 36.00 हेक्टेयर की KML file की आकृति प्रदर्शित नहीं हो रही है। अतः सही KML file अपलोड करें।
5. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक C(iii) में प्रभावित वनभूमि की सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट के स्थान पर अन्य मानचित्र अपलोड किया है। प्रभावित वनभूमि को सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट पर चिह्नित कर हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें।
6. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक C(iv) में प्रभावित वनभूमि के जियो-रिफरेंस मेप के स्थान पर क्षतिपूर्ति वनीकरण का मानचित्र अपलोड किया है। जियो-रिफरेंस मेप की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें।
7. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक D(ii) में प्रस्तावित वनभूमि न्यूनतम होने से संबंधित अन्य स्थलों का तुलनात्मक विवरण पत्रक एवं सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट पर प्रभावित स्थल एवं अन्य स्थल दर्शाते हुये मानचित्र की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड नहीं की गयी है। पूर्ति करें।
8. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक G(ii)(a) में योजना से संबंधित कास्ट बेनिफिट एंनलिसिस के पत्रक भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 01.08.2017 (छायाप्रति संलग्न है) के निर्देश अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में नहीं है। अतः निर्देश अनुसार निर्धारित प्रपत्रों पर योजना का कास्ट बेनिफिट एंनलिसिस तैयार कर अपलोड करें।
9. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक L(iv)(c) में गैर वनभूमि 28.25 हेक्टेयर की KML file की आकृति प्रदर्शित नहीं हो रही है। सही KML file तैयार कर अपलोड करें।

10. प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक L(v) में गैर वनभूमि के जियो-रिफरेंस मैप में दो खसरावार अलग-अलग जियो-रिफरेंस मैप तैयार कर अक्षांश-देशांश सहित हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें।
11. प्रस्ताव के भाग-1 बिन्दु क्रमांक L(vi) में गैर वनभूमि की सर्वे आफ इंडिया की 1:50,000 स्कैल की टोपोशीट के स्थान पर अन्य मानचित्र संलग्न है। जो मान्य नहीं है। अतः गैर वनभूमि की सर्वे आफ इंडिया की 1:50,000 स्कैल की टोपोशीट हस्ताक्षरित अपलोड करें।

अतः उपरोक्त कमियों की पूर्ति करें, तथा आवश्यकतानुसार दस्तावेज हस्ताक्षर कर अपलोड किये जाकर आनलाईन प्रस्ताव भाग-1 इस कार्यालय को प्रेषित करें।  
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

  
6/10/23

(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-3/82/2018/10-11/16/575

भोपाल, दिनांक 23/2/2020

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी  
सामान्य वनमण्डल, नीमच,  
मध्य प्रदेश।

विषय:- गंगायावडी तालाब निर्माण के लिये 36.00 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 25.02.2020

—0—

इस प्रस्ताव पर दिनांक 25.02.2020 को चर्चा की गई। प्रस्ताव पर चर्चा करने पर यह पाया गया कि आवेदक संस्था द्वारा मौके स्थल पर कुछ वन क्षेत्र में स्वीकृति के पूर्व ही कार्य कर लिया है।

इस बैठक में आवेदक संस्था के अधिकारी उपस्थित थे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया है वह राजस्व क्षेत्र में किया गया है।

वन विभाग के डिजिटाइज्ड नक्शों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि आवेदक संस्था ने कुछ वन क्षेत्र में कार्य कर लिया है। सम्भव है कि विभाग के डिजिटाइज्ड नक्शों में कुछ त्रुटि हो।

अतः आप वन विभाग की 1:50,000 स्केल की टोपोग्राफी पर आवेदक संस्था द्वारा माँही गई 36.00 हेक्टेयर वन भूमि में अंकित कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि उसका परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार निर्णय लिया जा सके।

इसके अतिरिक्त आवेदक संस्था द्वारा प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये जो 36.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि दो टुकड़ों में उपलब्ध कराई है। इस उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि में बड़े टुकड़े की KML फाईल काफी लगभग 62.00 हेक्टेयर की आ रही है। आवेदक संस्था को 36.00 हेक्टेयर की KML फाईल प्रस्तुत करने के निर्देश दे।

साथ ही प्रस्ताव में प्राप्त 36.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि की 11 वर्षीय रोपण योजना इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.12.2019 के अनुसार तैयार कर तकनीकी स्वीकृति सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रकां)

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23/2/2020

पृ० क्रमांक/एफ-3/82/2018/10-11/16/579

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच, जिला नीमच, मध्यप्रदेश।

(सुनील अग्रवाल)  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल  
Kendhya Parivaran Bhawan, Link Road No.3 E-5 Haveli Shankar Nagar,  
BHOPAL - 462016 (M.P.)  
TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-met@nic.in



File No. 6-MPC 011/2020-BHO/

Date: 17/07/2022

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वनसंरक्षण भवन, भोपाल,

(मध्यप्रदेश)।

विषय: नौमच जिले के अन्तर्गत गंगा बागड़ी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 39.399 हेक्टर आरक्षित  
वनभूमि काय्यपालन यंत्री, जल सहायन सभाग नौमच का उपयोग पर देने का  
संदर्भ: प्रधान मुख्य वन संचालक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-3/82/2018/10-11/16/1895 दिनांक  
27/5/22

महोदय,

उपरोक्त विषयक एक संदर्भित पत्र के संदर्भ में अधाहस्ताक्षरी का यह सूचित करना का निर्देश हुआ है कि  
प्रस्ताव से संबंधित अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अतः निम्नलिखित जानकारी/ दत्त  
तबैज प्रेषित करने का कष्ट करें :-

1. As per DSS analysis, the proposed diversion KML area becomes 43.149 ha. It shall be re-checked.
2. As per DSS analysis, about 190 meter of dam axis has been constructed. Details of violation report shall be submitted.
3. Proposed Irrigated area shall be submitted.
4. Alternative alignment of proposed diversion area with KML file shall be submitted.
5. Justification for location of the project in forest land (countersigned by DFO) not submitted/ uploaded on web portal
6. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.
7. Techno economic clearance of the project shall be submitted.
8. Item/purpose-wise break-up of 39.399 ha and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

File No.6-MPC011/2020-BHO

220

10031/2022

हर राम कुमार  
तकनीकी अधिकारी (वाणिज्यिक)  
प्रतिनिधि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं जंगल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, वन एवं भू-संसाधन, भोपाल ।

Signed by Hare Ram Kumar  
Date: 26-07-2022 11:07:16  
Reason: Approved



**कार्यालय कार्यपालन यंत्री**  
**जल संसाधन संभाग, नीमच जिला नीमच (म.प्र.) (कार्या.कोड-0237)**  
 फोन नं. 07423-232411, ईमेल cewrd\_neemuch@yahoo.co.in

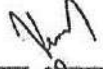
**—: संक्षिप्त टीप :—**

**गंगाबावडी जलाशय योजना के बांध कार्य स्थल चयन की सार्थकता (Justification)**  
**के संबंध में संक्षिप्त टीप**

गंगाबावडी जलाशय योजना तहसील मनासा जिला नीमच हेतु जिस बांध स्थल का चयन किया गया है वह एक मात्र उचित विकल्प है। इस बांध स्थल के Longitude 75°-10'-00" तथा Latitude 24°-33'-30" है। इस बांध स्थल के नीचे कार्य स्थल का विकल्प नहीं है, क्योंकि इसके नीचे Down Stream में गंगाबावडी ग्राम की आबादी है तथा चयनित बांध स्थल के ऊपर Up Stream में भी बांध स्थल के विकल्प पर विचार किया गया, किन्तु बांध स्थल Up Stream में ले जाने पर बांध में पानी की क्षमता कम हो जाती है एवं वन क्षेत्र भी बढ जाता है।

अतः चयनित बांध स्थल के अलावा विकल्प नहीं होने से तथा इसमें प्रभावित वन भूमि 43.149 हेक्टर (जिसमें डूब क्षेत्र 39.8 हे., स्पिल 3.19 हे. एवं नहर 0.159 हे.) तथा गैर वन भूमि (निजी भूमि) 11.00 हेक्टर कुल एकबा 54.149 हेक्टर है, जो कि न्यूनतम है, इसकी गणना की जा चुकी है।

  
 (हिमांशु माहोर)  
 अनुविभागीय अधिकारी  
 जल संसाधन उपसंभाग रामपुरा

  
 (विमल श्रीवास्तव)  
 कार्यपालन यंत्री  
 जल संसाधन संभाग नीमच

  
 वन मण्डलाधिकारी  
 सामान्य वन मण्डल नीमच

## गंगाबावड़ी लघु सिंचाई परियोजना

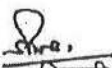
प्रमाणित किया जाता है कि न्यूनतम वनक्षेत्र प्रभावित होने के संबंध में तुलनात्मक दृष्टि से न्यूनतम 3 ऐसे विकल्प परीक्षणों का उपयुक्त स्केल के नक्शों पर दर्शाते हुए उनकी परीक्षणात्मक टीप निम्नानुसार है :-

| विकल्प क्र. | डूब क्षेत्र (वन) (हे.) | परियोजना की लागत (रु. लाख में) | जलग्रहण क्षमता (मि.घ.मी.) | सिंचित क्षेत्र (हे.) | परीक्षणात्मक टीप                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 43.99                  | 1622.15                        | 2.315                     | 408                  | यह कार्यस्थल प्रस्तावित चयनित स्थल से 200 मी. नीचे की ओर परीक्षण कर प्रस्तावित किया गया, परंतु इस कार्य स्थल पर प्रभावित वन भूमि का रकबा 43.99 हेक्टर आता है। जो कि तुलनात्मक दृष्टि से वर्तमान स्थल से 0.841 हेक्टर अधिक है एवं सिंचाई क्षमता 25 हेक्टर कम है, जो कि तकनीकी दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है। |
| 2           | 43.149                 | 1501.25                        | 2.444                     | 430                  | विकल्प नं. 2 में प्रस्तावित कार्यस्थल पर प्रभावित वन भूमि का रकबा 43.149 हेक्टर आता है एवं सिंचाई क्षमता 430 है। प्रभावित वन भूमि की मांग लागत लाभ के अनुरूप होने एवं न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होने से उपयुक्त है।                                                                                         |
| 3           | 43.37                  | 1646.50                        | 2.002                     | 399                  | विकल्प नं. 3 का कार्यस्थल प्रस्तावित चयनित स्थल से 250 मी. उपर की ओर परीक्षण कर प्रस्तावित किया गया, परंतु इस कार्यस्थल पर प्रभावित वन भूमि का रकबा 43.37 हेक्टर आता है जो कि वन भूमि की मांग लागत लाभ के अनुरूप न होने एवं अधिक वन भूमि प्रभावित होने से अनुपयुक्त है।                                    |

विकल्प क्र. 2 दर्शित आवेदित 43.149 हेक्टर वन भूमि की मांग अन्य दोनों विकल्पों तुलना में लागत लाभ के अनुरूप होने एवं न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होने एवं तकनीकी दृष्टि से भी उपयुक्त है। तीनों विकल्पों को दर्शाने वाला मानचित्र संलग्न है।

  
 (हिमांशु भावोर)  
 अनुविभागीय अधिकारी  
 जल संसाधन उपसंभाग रामपुरा

  
 (विमल श्रीवास्तव)  
 कार्यपालन यंत्री  
 जल संसाधन संभाग, नीमच

  
 वन मण्डलाधिकारी  
 सामान्य वन मण्डल नीमच

मध्यप्रदेश शासन,  
जल संसाधन विभाग  
-:: मंत्रालय ::-  
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ-22/1/2015-16/ल.सि./31/51 भोपाल, दिनांक 11/01/2016

-:: आदेश ::-

विभाग की ऐसी सिंचाई परियोजनाओं, जिनमें निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, की प्रथम दृष्टया तकनीकी एवं वित्तीय साध्यता का परीक्षण, जल की उपलब्धता, डूब क्षेत्र, वन भूमि एवं वित्तीय मापदण्डों के आधार पर किये गये तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण में प्रथम दृष्टया निम्नलिखित सिंचाई परियोजना तकनीकी एवं वित्तीय रूप से साध्य पाई गई :-

(Amount in Lakhs & Area in Ha.)

| स. क्र. | परियोजना का नाम               | परियोजना का प्रकार | जिला    | प्रस्तावित सिंचाई (एबी) | प्राक्कलित लागत | भूमि की लागत | निर्माण लागत | सर्वे एवं अनुसंधान व्यय |
|---------|-------------------------------|--------------------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 1       | बड़वानी                       | तालाब              | मंडला   | 370                     | 1245.58         | 167.08       | 1018.5       | 2.00                    |
| 2       | मानपुर                        | तालाब              | मंडला   | 280                     | 902.40          | 85.28        | 805.12       | 1.50                    |
| 3       | कटसराहीला                     | तालाब              | मंडला   | 880                     | 2992.40         | 550          | 2257         | 7.00                    |
| 4       | मानपुर                        | तालाब              | बालाघाट | 900                     | 3123.00         | 110          | 3013         | 8.00                    |
| 5       | गंतावाली                      | तालाब              | नीमच    | 515                     | 1793.07         | 1068.55      | 712.5        | 3.00                    |
| 6       | बोरखलिया                      | तालाब              | देवास   | 530                     | 1746.83         | 819.36       | 806.43       | 3.00                    |
| 7       | कलारिया                       | तालाब              | शाजापुर | 200                     | 694             | 345          | 349          | 1.00                    |
| 8       | इंदोख बैराज<br>सूक्ष्म सिंचाई | बैराज              | उज्जैन  | 5500                    | 6100            | 100          | 6000         | 30.00                   |
| 9       | भाडतालावली                    | तालाब              | उज्जैन  | 350                     | 832.5           | 307.5        | 525          | 2.00                    |
| 10      | पूरना                         | तालाब              | बैतूल   | 450                     | 1562.83         | 896.03       | 530          | 2.00                    |
| 11      | घाटपिपरिया                    | तालाब              | बैतूल   | 450                     | 1332.65         | 572          | 710          | 2.00                    |
| 12      | बत्ताईमल                      | तालाब              | बैतूल   | 320                     | 1116.89         | 520.96       | 539.88       | 2.00                    |
| 13      | वासनेरकला                     | तालाब              | बैतूल   | 200                     | 693.67          | 361.48       | 299          | 1.00                    |
| 14      | गैधा छिंदवाल                  | तालाब              | बैतूल   | 250                     | 859.56          | 178.07       | 602.48       | 1.00                    |
| 15      | घाट विरौली                    | तालाब              | बैतूल   | 1240                    | 4289.29         | 1880.64      | 2050.5       | 9.00                    |
| 16      | जैरा                          | तालाब              | सागर    | 6000                    | 14624.95        | 7628         | 6581.2       | 30.00                   |
| 17      | खरीआ                          | तालाब              | सागर    | 600                     | 1979.42         | 874.26       | 1042.6       | 3.00                    |
| 18      | गंगरा                         | तालाब              | सागर    | 1525                    | 5291.75         | 2027.83      | 3263.92      | 10.00                   |
| 19      | नेतना                         | तालाब              | सागर    | 300                     | 1041.3          | 500.7        | 510          | 2.00                    |
| 20      | चचाई सेमरा<br>तालाब           | तालाब              | छतरपुर  | 180                     | 552.68          | 57.68        | 495          | 0.80                    |
| 21      | गरुडा                         | तालाब              | छतरपुर  | 170                     | 592             | 391          | 236          | 0.70                    |
| 22      | मैगदी                         | तालाब              | छतरपुर  | 450                     | 1566            | 575          | 991          | 2.00                    |



| स. क्र. | परियोजना का नाम | परियोजना का प्रकार | जिला       | प्रस्तावित सिंचाई (रबी) | प्राक्कलित लागत | भूमि की लागत | निर्माण लागत | सर्वे एवं अनुसंधान व्यय |
|---------|-----------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 23      | कालापाठ         | बैराज              | बड़वानी    | 200                     | 278.13          | 12.04        | 249.65       | 0.50                    |
| 24      | चन्नरियागोई     | बैराज              | बड़वानी    | 200                     | 255.5           | 16.25        | 224.42       | 0.50                    |
| 25      | बरला            | बैराज              | बड़वानी    | 300                     | 554.04          | 39.75        | 514.29       | 0.50                    |
| 26      | खेड़ी तालाब     | तालाब              | धार        | 1000                    | 3229.38         | 1624.38      | 1350         | 6.00                    |
| 27      | खेरया तालाब     | तालाब              | धार        | 205                     | 713.40          | 466.55       | 246.85       | 1.00                    |
| 28      | तारखेड़ी        | तालाब              | झाबुआ      | 150                     | 446.75          | 97.65        | 324.62       | 0.80                    |
| 29      | घनाई तालाब      | तालाब              | सिवनी      | 4000                    | 8139.90         | 6018.9       | 2121         | 25.00                   |
| 30      | बकरालखापा तालाब | तालाब              | छिन्दवाड़ा | 1300                    | 4545.94         | 1635.94      | 2750         | 7.00                    |

2. उक्त परियोजना के विस्तृत-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान करने और विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) तैयार करने की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :-

- संबंधित कार्यपालन यंत्री परियोजना का विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कराके डीपीआर 16 सप्ताह में तैयार कर कछार के मुख्य अभियंता के माध्यम से प्रमुख अभियंता को उपलब्ध कराएं।
- सर्वेक्षण एवं डीपीआर की कार्रवाई के दौरान परियोजनाओं के सैच्य क्षेत्र के कृषकों की सर्वे नम्बर सहित सूची तैयार की जावे और उनसे परियोजना के लिये सहमति प्राप्त की जावे।
- परियोजना का प्रस्ताव प्रमुख अभियंता को प्रशासकीय स्वीकृति के लिये भेजने के पूर्व तकनीकी स्वीकृति (टी.एस.) जारी की जावे और इसे डी.पी.आर. में रखा जावे। टी.एस. जारी करने के पूर्व प्रशासकीय स्वीकृति होने की आवश्यकता को प्रश्नाधीन प्रकरणों के लिये शिथिल किया जाता है।
- विस्तृत सर्वेक्षण डीपीआर तैयार करने के दौरान ही सहमति से भूमि क्रय करने तथा भू-अर्जन/वन भूमि व्यपवर्तन का प्रकरण तैयार किया जावे। ताकि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की दशा में तत्काल प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सके।

3. डी.पी.आर. के लिए परियोजना लागत आकलन करते समय निम्न ध्यान रखा जाए :-

- निजी भूमि का मूल्य कलेक्टर गाइड लाईन का ढाई गुना आकलित किया जाए।
- वन भूमि की दशा में प्रभावित वन भूमि की अनुमति के लिए लागत रु. 15 लाख प्रति हेक्टर के मान से आंकलित की जाए।
- स्थापना में केवल निर्माण की लागत का 6 प्रतिशत प्रावधान रखा जाए।

*विभा*

4. प्रमुख अभियंता कार्यालय उपरोक्त परियोजनाओं के सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं डी.पी.आर. के लिये उपरोक्त तालिका के कॉलम-9 में दर्शाई गई राशि का आबंटन संबंधित कार्यपालन यंत्री को जारी करें। उक्त परियोजनाओं के सर्वेक्षण कार्य हेतु कॉलम-9 में दर्शित राशि अपर्याप्त होने की दशा में कार्यपालन यंत्री की औचित्य के साथ माँग प्राप्त होने पर अतिरिक्त राशि आबंटित की जा सकती है।

5. कार्यपालन यंत्री यह सुनिश्चित करें कि यदि किसी परियोजना का पूर्व में विस्तृत सर्वेक्षण व अनुसंधान किया जा चुका है तो पुनः सर्वेक्षण, अनुसंधान में व्यय नहीं किया जावे। पूर्व में किये गये सर्वेक्षण अनुसंधान की पुनः व्यक्तिशः संतुष्टि कर लें। पूर्व में जिस परियोजना का सर्वेक्षण अनुसंधान किया जा चुका हो तो उसके संबंध में उक्त कॉलम-9 में दर्शाया गया आबंटन मूलतः प्रमुख अभियंता को समर्पित कर दिया जावे। यह सुनिश्चित करना कार्यपालन यंत्री की व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।

6. अधीक्षण यंत्री स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे कि चिन्हित स्थल पर प्रस्तावित बैराज के निर्माण कराने से अधिक से अधिक जल का समुचित उपयोग होगा।

7. कार्यपालन यंत्री यह सुनिश्चित कर ले कि संलग्न तालिका में दर्शाई गई योजना सर्वेक्षण उपरांत असाध्य न हो जिससे सर्वे में किया गया व्यय व्यर्थ हो जाये। सर्वे के पूर्व ही यदि कोई बड़ी बाधा जैसे कृषकों का विरोध, या आँकड़ों की त्रुटि आदि की अवस्था में दिनांक 07.02.2016 तक परियोजना असाध्य होने के बारे में प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग को फार्म नं.-151 में सूचित करते हुए विभागीय वेबसाइट पर प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

8. संबंधित मुख्य अभियंता सर्वेक्षित एवं चिन्हित परियोजना के डी.पी.आर. 04 सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

19/2/16  
(व्ही.एस.टेकाम)  
उप सचिव

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

पृष्ठां. क्रं. - एफ-22/1/2015-16/ल.सि./31/52  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 11 / 1 / 2016

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, इन्दौर/सिवनी/होशंगाबाद/सागर।
3. वैब मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, पाईकू, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

19/2/16  
उप सचिव

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

⑥

**TABLE-EXISTING CROP PATTERN AND PRODUCTIVITY BEFORE PROJECT**

| (All rates in Rs., Amount in Rs. Lakh and Area in Ha.) |             |      |                |                   |                |                            |                        |      |                             |      |                           |       |                       |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------|------|-----------------------------|------|---------------------------|-------|-----------------------|-------------------|
| Sr. No.                                                | Crop        | Area | Yield (Qtl/Ha) | Total yield (Qtl) | Price per Qtl. | Gross Income (in Rs. Lakh) | Breakup of Expenditure |      |                             |      |                           |       | Net Income (in Lakhs) |                   |
|                                                        |             |      |                |                   |                |                            | Seed                   |      | Fertilizers, Chemicals etc. |      | Human, Animal & Machinery |       |                       | Total Expenditure |
|                                                        |             |      |                |                   |                |                            | Rate/ Ha (Rs.)         | Amt. | Rate/ Ha (Rs.)              | Amt. | Rate/ Ha (Rs.)            | Amt.  |                       |                   |
| Kharif                                                 |             |      |                |                   |                |                            |                        |      |                             |      |                           |       |                       |                   |
| 1                                                      | Soyabean    | 0    | 12             | 0                 | 1800           | 0.00                       | 1875                   | 0.00 | 2824                        | 0.00 | 5000                      | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 2                                                      | Urad        | 0    | 6              | 0                 | 3500           | 0.00                       | 1100                   | 0.00 | 1454                        | 0.00 | 4000                      | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 3                                                      | Moong       | 0    | 5              | 0                 | 3800           | 0.00                       | 1840                   | 0.00 | 1454                        | 0.00 | 4000                      | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 4                                                      | Maize       | 0    | 25             | 0                 | 1100           | 0.00                       | 1000                   | 0.00 | 3048                        | 0.00 | 4500                      | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 5                                                      | Jowar       | 0    | 26             | 0                 | 1200           | 0.00                       | 450                    | 0.00 | 3048                        | 0.00 | 4500                      | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 6                                                      | Til         | 0    | 5              | 0                 | 5000           | 0.00                       | 300                    | 0.00 | 700                         | 0.00 | 4000                      | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 7                                                      | Total       | 0    | 0              | 0                 | 0              | 0.00                       | 0                      | 0.00 | 0                           | 0.00 | 0                         | 0.00  | 0.00                  |                   |
| Rabi                                                   |             |      |                |                   |                |                            |                        |      |                             |      |                           |       |                       |                   |
| 1                                                      | Wheat       | 20   | 20             | 400               | 1400           | 7.20                       | 2030                   | 0.41 | 1524                        | 0.30 | 4500                      | 0.90  | 1.61                  |                   |
| 2                                                      | Gram        | 60   | 12             | 720               | 1600           | 12.90                      | 2650                   | 1.60 | 1854                        | 1.11 | 4000                      | 2.40  | 5.11                  |                   |
| 3                                                      | Mustard     | 0    | 0              | 0                 | 0              | 0.00                       | 0                      | 0.00 | 0                           | 0.00 | 0                         | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 4                                                      | Mustard     | 0    | 0              | 0                 | 0              | 0.00                       | 0                      | 0.00 | 0                           | 0.00 | 0                         | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 5                                                      | Mustard     | 0    | 0              | 0                 | 0              | 0.00                       | 0                      | 0.00 | 0                           | 0.00 | 0                         | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 6                                                      | Mustard     | 0    | 0              | 0                 | 0              | 0.00                       | 0                      | 0.00 | 0                           | 0.00 | 0                         | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 7                                                      | Mustard     | 0    | 0              | 0                 | 0              | 0.00                       | 0                      | 0.00 | 0                           | 0.00 | 0                         | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 8                                                      | Total       | 80   | 0              | 1,120             | 2016           | 27.20                      | 0                      | 2.00 | 1.42                        | 3.30 | 6.72                      | 20.48 |                       |                   |
| Other Crops                                            |             |      |                |                   |                |                            |                        |      |                             |      |                           |       |                       |                   |
| 1                                                      |             | 0    | 0              | 0                 | 0              | 0.00                       | 0                      | 0.00 | 0                           | 0.00 | 0                         | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 2                                                      |             | 0    | 0              | 0                 | 0              | 0.00                       | 0                      | 0.00 | 0                           | 0.00 | 0                         | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 3                                                      |             | 0    | 0              | 0                 | 0              | 0.00                       | 0                      | 0.00 | 0                           | 0.00 | 0                         | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 4                                                      |             | 0    | 0              | 0                 | 0              | 0.00                       | 0                      | 0.00 | 0                           | 0.00 | 0                         | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 5                                                      |             | 0    | 0              | 0                 | 0              | 0.00                       | 0                      | 0.00 | 0                           | 0.00 | 0                         | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 6                                                      |             | 0    | 0              | 0                 | 0              | 0.00                       | 0                      | 0.00 | 0                           | 0.00 | 0                         | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 7                                                      |             | 0    | 0              | 0                 | 0              | 0.00                       | 0                      | 0.00 | 0                           | 0.00 | 0                         | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 8                                                      | Total       | 0    | 0              | 0                 | 0              | 0.00                       | 0                      | 0.00 | 0                           | 0.00 | 0                         | 0.00  | 0.00                  |                   |
| 9                                                      | GRAND TOTAL | 80   | 0              | 1,120             | 2016           | 27.20                      | 0                      | 2.00 | 1.42                        | 3.30 | 6.72                      | 20.48 |                       |                   |



| SARAWAK GOVERNMENT FORESTRY DEPARTMENT                          |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| TABLE - EXISTING GROW PATTERN AND PRODUCTIVITY AFTER IRRIGATION |                        |
| (All rates in Rs. 1,000 and Area in Ha.)                        |                        |
|                                                                 | Breakup of Expenditure |
|                                                                 | Net                    |

| Sr.No.      | Crop                | Area | Yield<br>(Qil/Ha) | Total yield<br>(Qil) | Price per<br>Oil. | Gross<br>Income (in<br>Rs. Lakh) | Seed             | Fertilizers, Chemicals<br>etc. | Human, Animal &<br>Machinery & Misc. | Total<br>Expenditure | Income (in<br>Lakhs) |
|-------------|---------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
|             |                     |      |                   |                      |                   |                                  | Rate/Ha<br>(Rs.) | Amt.                           | Rate/Ha<br>(Rs.)                     | Amt.                 |                      |
| Kharif      |                     |      |                   |                      |                   |                                  |                  |                                |                                      |                      |                      |
| 1           | Soyabean (Improved) | 0    | 25                | 0                    | 2500              | 0.00                             | 1675             | 0.00                           | 2824                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 2           | Urad                | 0    | 6                 | 0                    | 3500              | 0.00                             | 1100             | 0.00                           | 1454                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 3           | Moong               | 0    | 5                 | 0                    | 3800              | 0.00                             | 1840             | 0.00                           | 1454                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 4           | Maize               | 0    | 25                | 0                    | 1100              | 0.00                             | 1000             | 0.00                           | 3048                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 5           | Jowar               | 0    | 26                | 0                    | 1200              | 0.00                             | 450              | 0.00                           | 3048                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 6           | Til                 | 0    | 5                 | 0                    | 5000              | 0.00                             | 300              | 0.00                           | 700                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 7           |                     | 0    | 0                 | 0                    | 0                 | 0.00                             | 0                | 0.00                           | 0                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Total       |                     | -    |                   |                      |                   |                                  |                  |                                |                                      |                      |                      |
| Rabi        |                     |      |                   |                      |                   |                                  |                  |                                |                                      |                      |                      |
| 1           | Wheat (HYV)         | 232  | 40 30             | 9250                 | 1800              | 167.25                           | 2290             | 5.31                           | 1524                                 | 3.54                 | 108.31               |
| 2           | Gram (DOLLER)       | 90   | 20 30             | 1800                 | 4500              | 81.00                            | 2660             | 2.39                           | 1854                                 | 1.67                 | 90.26                |
| 3           | Mustered            | 108  | 20                | 2160                 | 5000              | 108.00                           | 2700             | 2.92                           | 1400                                 | 1.51                 | 57.67                |
| 4           | Isabgol             | 0    | 18                | 0                    | 6500              | 0.00                             | 2700             | 0.00                           | 1500                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 5           |                     | 0    | 0                 | 0                    | 0                 | 0.00                             | 0                | 0.00                           | 0                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 6           |                     | 0    | 0                 | 0                    | 0                 | 0.00                             | 0                | 0.00                           | 0                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 7           |                     | 0    | 0                 | 0                    | 0                 | 0.00                             | 0                | 0.00                           | 0                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Total       |                     | 430  |                   | 15710                |                   | 356.25                           |                  | 10.62                          |                                      | 6.72                 | 256.24               |
| Other Crops |                     |      |                   |                      |                   |                                  |                  |                                |                                      |                      |                      |
| 1           |                     | 0    | 0                 | 0                    | 0                 | 0.00                             | 0                | 0.00                           | 0                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 2           |                     | 0    | 0                 | 0                    | 0                 | 0.00                             | 0                | 0.00                           | 0                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 3           |                     | 0    | 0                 | 0                    | 0                 | 0.00                             | 0                | 0.00                           | 0                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 4           |                     | 0    | 0                 | 0                    | 0                 | 0.00                             | 0                | 0.00                           | 0                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 5           |                     | 0    | 0                 | 0                    | 0                 | 0.00                             | 0                | 0.00                           | 0                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 6           |                     | 0    | 0                 | 0                    | 0                 | 0.00                             | 0                | 0.00                           | 0                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 7           |                     | 0    | 0                 | 0                    | 0                 | 0.00                             | 0                | 0.00                           | 0                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Total       |                     | -    |                   | 14820                |                   | 287.28                           |                  | 10.62                          |                                      | 6.72                 | 256.24               |
| GRAND TOTAL |                     | 430  |                   | 14820                |                   | 356.00                           |                  |                                |                                      |                      |                      |

10.2.4 Cost of Production Fish (As per guideline average of FRland MDDL area shall be taken in to consideration.)

| Particulars               | Submergence Area Ha | Production Kg/Ha | Total Production | Rate per Kg. | Production Amt (Rs.) | Expenditure (Rs.) | Net Benefit (Rs. Lakh) |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Ganga Bawari Tank Project |                     |                  |                  |              |                      |                   |                        |
| At F.R.L.                 | 52.182              | 750              | 19568.25         | 50           | 978412.5             | 195682.5          | 7.83                   |
| At M.D.D.L.               | 0                   |                  |                  |              |                      |                   |                        |
| Other Dam                 |                     |                  |                  |              |                      |                   |                        |
| At F.R.L.                 | 0                   | 750              | 0                | 50           | 0                    | 0                 | 0.00                   |
| At M.D.D.L.               | 0                   |                  |                  |              |                      |                   |                        |
| Total                     |                     |                  |                  |              |                      |                   | 7.83                   |

(Rate Source : \_\_\_\_\_)

| Domestic and Industrial Water Supply                  |              |                       |               |  |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--|
|                                                       | Supply (MCM) | Rate in Rs. Lakh/ MCM | Amount in Rs. |  |
| Benefits from water supply to Drinking & Domestic use | 5.2          | 0                     | 0             |  |
| Benefits from water supply to industries              | 0            | 0                     | 0             |  |
| Total                                                 |              |                       | 0             |  |

(Rate Source : \_\_\_\_\_)

| Revenue from Power Production |                |              |       |                        |
|-------------------------------|----------------|--------------|-------|------------------------|
|                               | Unit size (MW) | No. of Units | Hours | Total Production (MWh) |
| Firm Power                    | 0              | 0            | 0     | 0                      |
| Incidental Power              | 0              | 0            | 0     | 0                      |
| Total                         |                |              |       | 0                      |

(Rate Source : \_\_\_\_\_)

MADHYA PRADESH  
WATER RESOURCES DEPARTMENT  
GANGA BAWARI TANK PROJECT PROJECT  
Table-11.1 BC Ratio Calculation

| Item                                                                                                                                                               | Before<br>Irrigation | After<br>Irrigation |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------|
| 1 Gross Receipt                                                                                                                                                    |                      |                     |         |
| (i) Gross value of farm produce                                                                                                                                    |                      |                     |         |
| (ii) Dung receipts (at 30% of the fodder expenditure)                                                                                                              | 20.16                | 27.20               | 356.04  |
| Total Gross Receipts (1) = (i+ii)                                                                                                                                  | 0.60                 | 1.22                | 10.68   |
| 2 EXPENSES                                                                                                                                                         | 20.76                | 28.42               | 366.72  |
| (i) Expenditure on Seeds                                                                                                                                           |                      |                     |         |
| (ii) Expenditure on Fertilizers, Chemicals etc.,                                                                                                                   |                      | 2.00                |         |
| (iii) Expenditure on hired labour (human, animal & machinery) & Misc                                                                                               |                      | 1.42                | 10.62   |
| (iv) Fodder expenses (as percentage of gross value of produce)                                                                                                     |                      | 3.30                | 6.72    |
| a) 15% Gross value of farm produce before irrigation                                                                                                               |                      |                     | 13.70   |
| b) 10% Gross value of farm produce after irrigation                                                                                                                |                      |                     |         |
| (v) Depreciation on implements at 2.7% of the gross value of farm produce                                                                                          |                      | 4.08                |         |
| (vi) Share and Cash Rent                                                                                                                                           |                      |                     | 28.73   |
| a) 5% Gross value of farm produce before irrigation                                                                                                                |                      | 0.73                | 7.76    |
| b) 3% Gross value of farm produce after irrigation                                                                                                                 |                      |                     |         |
| (vii) Land Revenue at 2% of gross value of farm produce                                                                                                            |                      |                     | 1.36    |
| Total Expenses (2) = (i+ii+iii+iv+v+vi+vii)                                                                                                                        |                      | 0.54                | 8.62    |
| 3 NET VALUE OF PRODUCE                                                                                                                                             |                      | 13.44               | 5.75    |
| (i) Total Gross receipts (Total 1)                                                                                                                                 |                      |                     | 81.89   |
| (ii) Total Expenses (Total 2)                                                                                                                                      | 20.76                | 28.42               | 295.90  |
| Net value of produce (3) = (i-ii)                                                                                                                                  |                      | 13.44               | 81.89   |
| 4 ANNUAL BENEFITS                                                                                                                                                  | 7.32                 | 14.99               | 274.15  |
| (i) Net value after irrigation (3)                                                                                                                                 |                      |                     |         |
| (ii) Net value before irrigation                                                                                                                                   |                      |                     | 214.01  |
| from Irrigation                                                                                                                                                    |                      |                     | 14.99   |
| (iii) from Fish production                                                                                                                                         |                      |                     | 199.02  |
| (iv) from Power production (Being incidental, not considered)                                                                                                      |                      |                     | 7.83    |
| (v) from Water Supply                                                                                                                                              |                      |                     | 0.00    |
| a) Domestic                                                                                                                                                        |                      |                     | 0.00    |
| b) Industrial                                                                                                                                                      |                      |                     | 0.00    |
| Net Annual Benefits (4) = (i-ii)+(iii)+(iv)                                                                                                                        |                      |                     | 0.00    |
| 5 COST OF PROJECT                                                                                                                                                  |                      |                     | 206.85  |
| (i) Estimated cost of the Project                                                                                                                                  |                      |                     |         |
| (ii) Cost of land development                                                                                                                                      |                      |                     | 1501.24 |
| Total                                                                                                                                                              |                      |                     | 0.00    |
| 6 ANNUAL COSTS                                                                                                                                                     |                      |                     | 1501.24 |
| (i) Interest on capital @ 10% (Estimated total cost of the project including cost of land development)                                                             |                      |                     | 150.12  |
| (ii) Depreciation of the project @ 1% of the cost of project for 100 years life of the project and @ 2% for 50 years life of the project                           |                      |                     | 15.01   |
| (iii) Annual operation and maintenance charges                                                                                                                     |                      |                     | 0.43    |
| (iv) Maintenance of the head works @ 1% of its cost                                                                                                                |                      |                     | 15.01   |
| (v) Depreciation of the pumping system @ 8.33% of the estimated cost of the pumping system assuming life of the system as 12 years (Applicable to lift irrigation) |                      |                     | 0.00    |
| (vi) Depreciation of the rising mains @ 8.33% of the estimated cost of the rising mains assuming life of the system as years (Applicable to lift irrigation)       |                      |                     | 0.00    |
| (vii) Power Charges for lift irrigation @ per Ha. (Applicable to lift irrigation)                                                                                  |                      |                     | 0.00    |
| Total Annual Costs (6) = (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)                                                                                                        |                      |                     | 180.58  |
| Average Benefit Cost Ratio = Annual Benefits (4) / Annual Costs (6)                                                                                                |                      |                     | 1.15    |

Sanjay K. Bhat  
Sug. Chemist



**कार्यालय कार्यपालन यंत्री**  
**जल संसाधन संभाग, नीमच जिला नीमच (म.प्र.) (कार्या.कोड-0237)**  
 फोन नं. 07423-232411, ईमेल cewrd\_ncemuch@yahoo.co.in

**—: संक्षिप्त टीप :-**

**गंगाबावडी जलाशय योजना के बांध कार्य स्थल चयन की सार्थकता (Justification)**  
**के संबंध में संक्षिप्त टीप**

गंगाबावडी जलाशय योजना तहसील मनासा जिला नीमच हेतु जिस बांध स्थल का चयन किया गया है वह एक मात्र उचित विकल्प है। इस बांध स्थल के Longitude 75°-10'-00" तथा Latitude 24°-33'-30" है। इस बांध स्थल के नीचे कार्य स्थल का विकल्प नहीं है, क्योंकि इसके नीचे Down Stream में गंगाबावडी ग्राम की आबादी है तथा चयनित बांध स्थल के ऊपर Up Stream में भी बांध स्थल के विकल्प पर विचार किया गया, किन्तु बांध स्थल Up Stream में ले जाने पर बांध में पानी की क्षमता कम हो जाती है एवं वन क्षेत्र भी बढ जाता है।

अतः चयनित बांध स्थल के अलावा विकल्प नहीं होने से तथा इसमें प्रभावित वन भूमि 43.149 हेक्टर (जिसमें डूब क्षेत्र 39.8 हे., स्पिल 3.19 हे. एवं नहर 0.159 हे.) तथा गैर वन भूमि (निजी भूमि) 11.00 हेक्टर कुल रकबा 54.149 हेक्टर है, जो कि न्यूनतम है, इसकी गणना की जा चुकी है।

  
 (हिमाशु माबोर)  
 अनुविभागीय अधिकारी  
 जल संसाधन उपसंभाग रामपुरा

  
 (विमल श्रीवास्तव)  
 कार्यपालन यंत्री  
 जल संसाधन संभाग नीमच

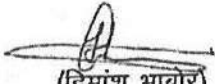
  
 वन मण्डलाधिकारी  
 सामान्य वन मण्डल नीमच

## गंगाबावड़ी लघु सिंचाई परियोजना

प्रमाणित किया जाता है कि न्यूनतम वनक्षेत्र प्रभावित होने के संबंध में तुलनात्मक दृष्टि से न्यूनतम 3 ऐसे विकल्प परीक्षणों का उपयुक्त स्केल के नक्शों पर दर्शाते हुए उनकी परीक्षणात्मक टीप निम्नानुसार है :-

| विकल्प क्र. | झूब क्षेत्र (वन) (हे.) | परियोजना की लागत (रु. लाख में) | जलग्रहण क्षमता (मि.घ.मी.) | सिंचित क्षेत्र (हे.) | परीक्षणात्मक टीप                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 43.99                  | 1622.15                        | 2.315                     | 408                  | यह कार्यस्थल प्रस्तावित चयनित स्थल से 200 मी. नीचे की ओर परीक्षण कर प्रस्तावित किया गया, परंतु इस कार्य स्थल पर प्रभावित वन भूमि का रकबा 43.99 हेक्टर आता है। जो कि तुलनात्मक दृष्टि से वर्तमान स्थल से 0.841 हेक्टर अधिक है एवं सिंचाई क्षमता 25 हेक्टर कम है, जो कि तकनीकी दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है। |
| 2           | 43.149                 | 1501.25                        | 2.444                     | 430                  | विकल्प नं. 2 में प्रस्तावित कार्यस्थल पर प्रभावित वन भूमि का रकबा 43.149 हेक्टर आता है एवं सिंचाई क्षमता 430 है। प्रभावित वन भूमि की मांग लागत लाभ के अनुरूप होने एवं न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होने से उपयुक्त है।                                                                                         |
| 3           | 43.37                  | 1646.50                        | 2.002                     | 399                  | विकल्प नं. 3 का कार्यस्थल प्रस्तावित चयनित स्थल से 250 मी. उपर की ओर परीक्षण कर प्रस्तावित किया गया, परंतु इस कार्यस्थल पर प्रभावित वन भूमि का रकबा 43.37 हेक्टर आता है जो कि वन भूमि की मांग लागत लाभ के अनुरूप न होने एवं अधिक वन भूमि प्रभावित होने से अनुपयुक्त है।                                    |

विकल्प क्र. 2 दर्शित आवेदित 43.149 हेक्टर वन भूमि की मांग अन्य दोनों विकल्पों तुलना में लागत लाभ के अनुरूप होने एवं न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होने एवं तकनीकी दृष्टि से भी उपयुक्त है। तीनों विकल्पों को दर्शाने वाला मानचित्र संलग्न है।

  
 (हिमांशु भारगव)  
 अनुविभागीय अधिकारी  
 जल संसाधन उपसंभाग रामपुरा

  
 (विमल श्रीवास्तव)  
 कार्यपालन यंत्री  
 जल संसाधन संभाग, नीमच

  
 वन मण्डलाधिकारी  
 सामान्य वन मण्डल नीमच

**COST BENEFIT ANALYSIS FOR  
GANGA BAWARI TANK PROJECT NEEMUCH**

**Table-A Cases User which A Cost Benefit Analysis for Forest Diversion Area Required**

| S. No. | Parameters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Applicable/Not Applicable | Remark                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | All categories of proposal involving forest land up to 7.98 Ha. In plains and up to 30 Ha. In hills.                                                                                                                                                                                                                              | Applicable                |                                                                                                                                                                                                               |
| 2      | Proposal for defense installation purpose and oil prospecting (prospecting only)                                                                                                                                                                                                                                                  | Not Applicable            |                                                                                                                                                                                                               |
| 3      | Habitation, establishment of industrial units. Tourist lodges complex and other building construction.                                                                                                                                                                                                                            | Not Applicable            |                                                                                                                                                                                                               |
| 4      | All other proposal involving forest land more than 7.98 Ha. In plain and more than 30 Ha. In hills including roads, transmission lines, Minor, medium and major irrigation project, hydro projects, mining activity, railway lines, location specific installation like micro-wave station, auto repeater centers. TV towers etc. | Applicable                | These are cases where a cost benefit analysis is necessary to determine when diverting the forest land to non forest use of overall public interest. The Ganga Bawari Tank Project falls under this category. |

  
 (Himanshu Bhabor)  
 Sub Divisional Officer  
 W.R. Sub Division, Rampura

  
 (Vimal Shrivastav)  
 Executive Engineer  
 W.R. Division, Neemuch



**Table-B Estimate of Cost of Forest Diversion**

| S. No. | Parameters                                                                                                                                                                                           | Remark                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Ecosystem service losses due to proposed forest diversion                                                                                                                                            | Ecosystem services due to diversion of forest land suggested by the forest classification report of proposed, Ganga Bawari Irrigation Project is Rs. 12.2859 lakhs/Ha.<br>Cost of land = 43.149 Ha. X 12.28590 lakhs/Ha. = 530.12 Lakhs |
| 2      | Loss of animal husbandry productivity including cost of fodder.                                                                                                                                      | As per the cost benefit guideline i.e. 10 % of N.P.V 1.228 Lakh per Ha.= 43.149 x 1.228 = 53.01 Lakh                                                                                                                                    |
| 3      | Cost Human Resettlement                                                                                                                                                                              | There is no human settlement due to proposed Ganga Bawari Tank Project Hence cost of human resettlement is Nil.                                                                                                                         |
| 4      | Loss of public facilities and administrative infrastructure (road, building, School, Dispensaries, electric lines, railways etc) on forest land if these facilities were diverted due to the project | There is no loss of public facilities and administrative infrastructure of forest land due to construction of Ganga Bawari Tank Project No cost has been added on this account.                                                         |
| 5      | Possession value of fores land diverted.                                                                                                                                                             | The possession Value of forest land diverted is taken 30 % of the N.P.V due to loss of forest i.e Rs. 3.686 Lakhs/Ha. Hence amount will be = 43.149 x 3.686 = 159.04 Lakhs                                                              |
| 6      | Cost of Suffering to oustees                                                                                                                                                                         | No Applicable                                                                                                                                                                                                                           |
| 7      | Habitat fragmentation cost                                                                                                                                                                           | Forest land is being acquired the submergence of Ganga Bawari Tank Project. There is No amount taken under this account.                                                                                                                |
| 8      | Compensatory afforestation and soil and moisture conservation cost                                                                                                                                   | The cost @ Rs. 4.00 Lakhs per Ha. Is taken for compensatory afforestation and soil moisture conservation. Hence amount will be = 43.149 x 4.00 = 172.596 Lakhs                                                                          |
| 9      | Total cost due to forest land diversion                                                                                                                                                              | Total cost due to forest land diversion for Ganga Bawari Tank Project will be 530.12+53.01+159.04+172.596 = 914.766 Lakhs.                                                                                                              |

  
 (Himanshu Bhabor)  
 Sub Divisional Officer  
 W.R. Sub Division, Rampura

  
 (Vimal Shrivastav).  
 Executive Engineer  
 W.R. Division, Neemuch

**Table-C Existing guidelines for estimating benefits of forest diversion in CBA**

| S. No. | Parameters                                                                    | Remark                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Increase in productivity attribute to the specific project.                   | The Crop production benefit due to Ganga Bawari Tank Project will be Rs. 24044 Lakhs in designed life of 100 Years and water level will increase economic growth of the nearby Villages.                                                                        |
| 2      | Benefits to economy due to the specific project                               | Ganga Bawari Tank Project will trigger economic development and also influence with irrigation facility to a land of 430 Ha. In the surrounding area Irrigation is proposed both by Lift & Canal System.                                                        |
| 3      | No. of Population benefited due to specific project                           | Project is located in back ward area of the village. After completion of project 472 No. cultivators will be benefited and ground water level will be increased in surround area. This Project will also facilitate drinking water supply to adjacent villages. |
| 4      | Economic benefits due to of direct and indirect employment due to the project | The project will provide direct employment for approximate 300 people (18 month) during its construction period.                                                                                                                                                |
| 5      | Economic benefits due to compensatory afforestation.                          | An economic benefit due to compensatory afforestation has considered as per the benefit of C.A. guidelines of Ministry for N.P.V estimation.                                                                                                                    |
|        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

  
 (Himanshu Bhabor)  
 Sub Divisional Officer  
 W.R. Sub Division, Rampura

  
 (Vimal Shrivastav)  
 Executive Engineer  
 W.R. Division, Neemuch

## GANGA BAWARI TANK PROJECT

TEHSIL -MANASA

DISTRICT- NEEMUCH

### COST BENEFIT ANALYSIS

#### PARAMETER FOR EVALUATION OF FOREST

Table-C Existing guidelines for estimating benefits of forest diversion in CBA

| S. No. | Parameters                                                        | Remark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Increase in perceptivity attributed to specified project          | The Ganga Bawari Tank Project is conceived to cater irrigation water to 430 Ha. Of CCA in Village. Ganga Bawari, Hundi Bherpura and Deori of Manasa Tehsil of Neemuch district. Irrigation intensity will increase. Total amount of annual benefits in terms of productivity have been work out 11504 quintal from 1440 quintal, therefore total profit in next 100 Years would be 24044 Lakh. |
| 2      | Benefits to economy                                               | The Main objective of Ganga Bawari Tank is to provide irrigation water to 430 ha land which mainly owned by triabls and after completion assured water will be given to boost up their economy.                                                                                                                                                                                                |
| 3      | Number of the population benefited.                               | The Ganga Bawari Tank is conceived to cater irrigation water to 430 ha of CCA in village Ganga Bawari, Hundi, Bherpura and Deori of Manasa Tehsil of District Neemuch will be benefited by this scheme by way of irrigation so the total cultivators benefited through irrigation shall be near by 472 Nos                                                                                     |
| 4      | Employment Potential                                              | During the construction stage temporary employment 300 man days and permanent employment 10 person shall be generated for 18 months.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5      | Cost of acquisition facility on non forest land wherever feasible | No human commodity will affected due to construction of project.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6      | Loss of (a) Agriculture (b) Animal Husbandry                      | No loss of agriculture envisaged In fact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

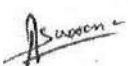




|   |                                                                                                             |                                                                                                                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Production due to diversion.                                                                                | present object has been proposed for the improvement of agriculture in this area No loss in the animal husbandry production. |
| 7 | Cost of rehabilitating the displacement person has different from.                                          | Not applicable based on survey it was found that there no displacement due to project and as such                            |
| 8 | Cost of supply of free fuel would to workers residing in are near forest area during period of construction | The labour camps will be facilitated with kerosene/LPG facilities and hence no free cutting shall be there for fuel woo.     |
| 9 | Total benefit due to project                                                                                | Rs. 240.44 Lakh per year<br>Rs. 24044 Lakh after 100 years.                                                                  |

**Cost Benefit Analysis :-**

1. Total Benefit due to project = Rs 240.44 Lakhs
2. B.C (Cost Benefit) Ratio 5% Interest = 2.65  
B.C (Cost Benefit) Ratio 10 % interest = 1.45

  
Sub Engineer  
W.R. Sub Division, Rampura

  
(Himanshu Bhabor)  
Sub Divisional Officer  
W.R. Sub Division,  
Rampura

  
(Vimal Shrivastav)  
Executive Engineer  
W.R. Division, Neemuch

## GANGA BAWARI TANK PROJECT

TEHSIL -MANASA

DISTRICT- NEEMUCH

### COST BENEFIT RATIO

1. Project Cost = Rs 1501.24 Lakh
2. Irrigation (Rabi) = 430 Hact.

#### Pre Development

| S No. | Name of Crop | Area under cultivation | Cost of Cultivation per hact. | Total Cost of Cultivation | Yield per hact. In quintal | Total Yield | Rate per Quintal | Total Value of produce in lakh |
|-------|--------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| 1     | 2            | 3                      | 4                             | 5                         | 6                          | 7           | 8                | 9                              |
| 1     | Wheat Hyb    | 40                     | 8000                          | 3.20                      | 24                         | 960         | 1800             | 17.28                          |
| 2     | Gram         | 60                     | 5500                          | 3.30                      | 08                         | 480         | 4000             | 19.20                          |
|       | Total        | 100                    | -                             | 6.50                      | -                          | 1440        | -                | 36.48                          |

(A) Net benefit – 36.48 -6.50 = 29.98 lakh

#### POST DEVELOPMENT

| S No. | Name of Crop | Area under cultivation | Cost of Cultivation per hact. | Total Cost of Cultivation | Yield per hact. In quintal | Total Yield | Rate per Quintal | Total Value of produce in lakh |
|-------|--------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| 1     | 2            | 3                      | 4                             | 5                         | 6                          | 7           | 8                | 9                              |
| 1     | Wheat Hyb    | 232                    | 10000                         | 23.20                     | 35                         | 8120        | 2000             | 162.40                         |
| 2     | Gram         | 90                     | 7000                          | 6.30                      | 16                         | 1440        | 4000             | 57.60                          |
| 3     | Mustard      | 108                    | 7000                          | 7.56                      | 18                         | 1944        | 4500             | 87.48                          |
|       | Total        | 430                    | -                             | 37.06                     | -                          | 11504       | -                | 307.48                         |

(B) Net benefit – 307.48-37.06 = 270.42 lakh

**B.C Ratio**

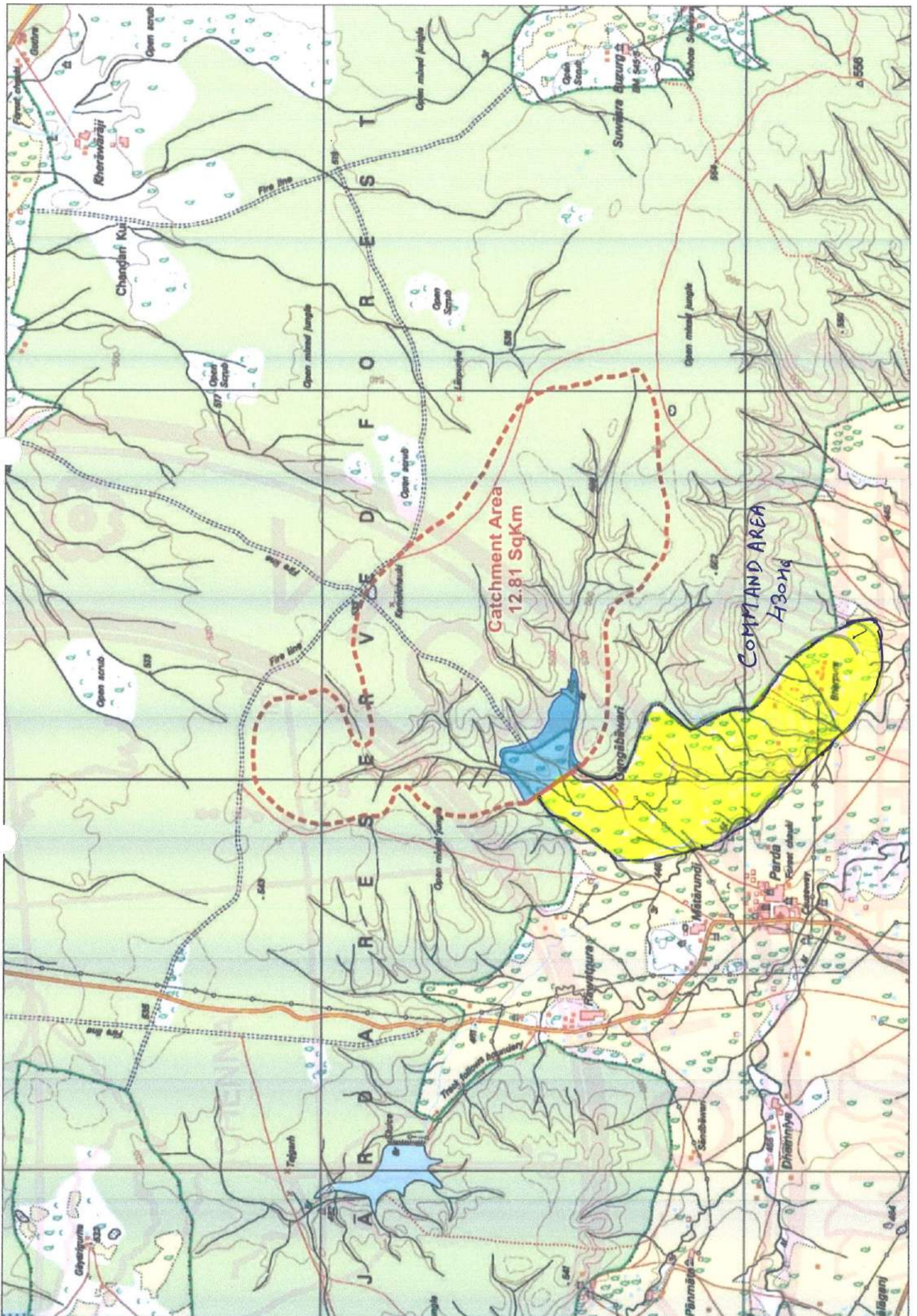
| S. No. |                                                                         | 5% Interest  | 10% Interest |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1      | Project Cost                                                            | 1501.24 lakh | 1501.24 Lakh |
| 2      | Project cost interest                                                   | 75.062 lakh  | 150.124 lakh |
| 3      | Depreciation@ 1% on (1) above                                           | 15.0012 lakh | 15.012 lakh  |
| 4      | Administrative expenses @<br>100/hact. (Design irrigation 430 x<br>100) | 0.430 lakh   | 0.430 lakh   |
| 5      | (C)                                                                     | 90.49 lakh   | 165.56 lakh  |
| 6      | B.C Ratio = B-A/C                                                       | 2.65         | 1.45         |

  
Sub Engineer  
W.R. Sub Division, Rampura

  
(Himanshu Bhabor)  
Sub Divisional Officer  
W.R. Sub Division,  
Rampura

  
(Vimal Shrivastav)  
Executive Engineer  
W.R. Division, Neemuch







# GANGA BAWARI TANK PROJECT

## Muck Mangement

Statement of muck generated in Dam excavation in forest area of Ganga Bawari

(A) Dam Work :-

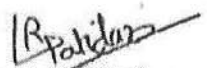
| S. No. | Description       | Qty. of Cutting | Qty of filling | Remark |
|--------|-------------------|-----------------|----------------|--------|
| 1      | 2                 | 3               | 4              | 5      |
| 1      | C.O.T.            | 54757.12        | 54757.12       | -      |
| 2      | Earth work of Dam | 171571.00       | 171571.00      | -      |
|        | Total             | 226328.12       | 226328.12      | -      |

Total Quantity of muck generated in Dam : 226328.12 Cum

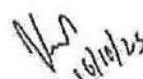
Total Quantity of muck utilized : 226328.12 Cum

Hence no muck is generated in Dam : Nil

Based on above calcuation quantity of cutting equal to total filling quantity Dam work hence it is certified that no muck generate in Dam excavation work cutting quatity will be utilized in filling portion of Dam.

  
(R. G. Fatidar)  
Sub Engineer

  
(Himanshu Jotibor)-  
Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub Division,  
Rampura

  
(Vimal Shrivastav)  
Executive Engineer  
Water Resources Division,  
Neemuch

  
D.F.O. (T)  
Neemuch

## न्यायालय कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 10/अ-20(3)/2017-2018



कार्यपालन यंत्री जल संसाधन  
संभाग, नीमच ————— आवेदक  
विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन ————— अनावेदक

**संशोधित आदेश**  
(पारित दिनांक 27-02-2018)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, नीमच द्वारा पत्र क्रमांक 65/कार्य/गंगाबावडी/2018 दिनांक 05.01.2018 के द्वारा उल्लेखित किया कि गंगाबावडी तालाब से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम लुहारिया जाट के शासकीय सर्वे नं. 253/1/इइ-1 का उप वनमण्डलाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसे वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल नीमच द्वारा अनुपयुक्त करार देने से योजना के लिए अन्य शासकीय भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

2- प्रकरण में तहसीलदार सिंगोली द्वारा विधिवत जाँच कर प्रतिवेदन दिनांक 21/2/2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया कि प्रकरण दर्ज किया जाकर विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। तहसीलदार सिंगोली द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 17.02.2018 को वनमण्डलाधिकारी जिला नीमच व अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग नीमच एवं वन परिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ के साथ पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें उभयग्राम की प्रश्नाधीन भूमियों को वनमण्डलाधिकारी नीमच ने वन विभाग को आवंटन हेतु उपयुक्त पाया है। तहसीलदार सिंगोली द्वारा प्रकरण में ग्राम पंचायत रेतपुरा/फुसरिया से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अभिमत/अनापत्ति चाही गई, जो प्रकरण में शामिल है, जिस अनुसार ग्राम पंचायत फुसरिया द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि उक्त आवंटित भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा बाउण्ड्री बनाकर मवेशियों को चरने हेतु सुरक्षित कर रखा जाना बताया गया है एवं ग्राम पंचायत रेतपुरा द्वारा भी अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने में असहमति दी है। तहसीलदार सिंगोली द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रकरण में पटवारी मोजा लुंवा/फुसरिया से रिपोर्ट मय खसरा, नक्शा सहित चाही गई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्रामवार बिन्दुवार प्रतिवेदन इस प्रकार है कि ग्राम लुंवा प.ह.न.20 रेतपुरा रा.नि.वृत्त झाँतला प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि की खसरा प्रतिलिपि संलग्न है। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है, किन्तु उनके द्वारा आपत्ति का कोई उचित आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, कि उनको उक्त भूमि वन विभाग को आवंटित करने में क्या आपत्ति है, अतएव आपत्ति चलने योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण में सर्वे न.वार आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा, मद एवं प्रस्तावित रकबे का उल्लेख किया जाकर पटवारी प्रतिवेदन के संलग्न है। प्रकरण में चारागाह भूमि के संबंध में प्रतिवेदित है, कि 2 प्रतिशत के मान से चरागाह भूमि का पर्याप्त रकबा शेष रहेगा एवं चरागाह भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गंगाबावडी तालाब योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने संबंधित भूमि का सर्वे न., रकबा, मद व प्रस्तावित रकबा निम्नानुसार है:-

| ग्राम का नाम           | सर्वे न. | रकबा     | मद            | प्रस्तावित रकबा |
|------------------------|----------|----------|---------------|-----------------|
| लुंवा                  | 56       | 5.18हे.  | प्रस्तावित वन | 4.11हे.         |
| प.ह.नं. 20 रेतपुरा     | 167      | 25.21हे. | ना.का.का.     | 22.53हे.        |
| रा.नि. वृत्त<br>झाँतला | 168      | 3.39हे.  | नाला          | 1.61हे.         |
| योग 03                 |          | 33.78हे. |               | 28.25हे.        |

ग्राम फुसरिया प.ह.न. 4 रा.नि.वृत्त सिंगोली प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि की खसरा प्रतिलिपि संलग्न है। प्रकरण में ग्राम पंचायत फुसरिया द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि उक्त आवंटित भूमि पर

100/ **न्यायालय कलेक्टर**  
**जिला नीमच (म.प्र.)**



ग्रामवासियों द्वारा करीब 5 हेक्टर भूमि पर बाउण्ड्री बनाकर मवेशियों को चरने हेतु सुरक्षित कर रखा जाता गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि कुल रकबा 21.824 हे. में से 7.750 हे. भूमि ही वन विभाग को आवंटित की जा रही है, शेष भूमि अन्य प्रयोजन के लिये शेष रहेगी। अतएव आपत्ति निरस्त की जाती है। प्रकरण में सर्वे नं. आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा, मद एवं प्रस्तावित रकबे का उल्लेख किया जाकर पटवारी प्रतिवेदन के संलग्न है। प्रकरण में चरागाह भूमि के संबंध में प्रतिवेदित है कि 2 प्रतिशत के मान से चरागाह भूमि का पर्याप्त रकबा शेष रहेगा एवं चरागाह भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गंगाबावडी तालाब योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने संबंधित भूमि का सर्वे नं., रकबा, मद व प्रस्तावित रकबा निम्नानुसार है:-

| ग्राम का नाम                             | सर्वे नं. | रकबा       | मद        | प्रस्तावित रकबा |
|------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| फुसरिया प.ह.नं. 4<br>रा.नि.वृत्त सिंगोली | 1158      | 21.824 हे. | ना.का.का. | 7.750 हे.       |
|                                          | योग 01    | 21.824 हे. |           | 7.750 हे.       |

इस प्रकार तहसीलदार सिंगोली द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पटवारी रिपोर्ट व ग्राम पंचायत फुसरिया/रेतपुरा के अभिमत व प्रकरण में आये तथ्यों के आधार पर गंगाबावडी तालाब योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले उक्तानुसार प्रस्तावित कुल रकबा 36.00 हे. राजस्व भूमि वन विभाग म.प्र. शासन को आवंटित किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम योग्य कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिंगोली को प्रेषित किया गया।

3- अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड-सिंगोली द्वारा नायब तहसीलदार सिंगोली के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए गंगाबावडी तालाब योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले उक्तानुसार प्रस्तावित कुल रकबा 36.00 हे. राजस्व भूमि वन विभाग म.प्र. शासन को आवंटित किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम योग्य कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

4- मेरे द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया तथा संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पूर्व इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.11.2017 में पारित आदेशानुसार ग्राम लुहारियाजाट तहसील सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 253/1/इइ-1 में से रकबा 36.00 हे. भूमि जल संसाधन संभाग नीमच को हस्तांतरित की गई थी, किन्तु वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल नीमच के अनुसार उक्त भूमि उपयोगी नहीं होने से पुनः भूमि की मांग की गई। जिसके संबंध में गंगाबावडी तालाब योजना तहसील मनासा अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराने हेतु वनमण्डलाधिकारी नीमच, वन परिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ एवं तहसीलदार सिंगोली द्वारा ग्राम लुंवा एवं ग्राम फुसरिया की भूमियों का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें वनमण्डलाधिकारी नीमच द्वारा उक्त ग्रामों की प्रश्नाधीन भूमियों को उपयुक्त पाया है। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी सिंगोली द्वारा भी ग्राम लुंवा प.ह.नं. 20 तहसील सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 56 मद प्रस्तावित वन रकबा 4.11 हे. सर्वे नं. 167 मद ना.का.का. में से रकबा 22.53 हे., सर्वे नं. 168 मद नाला में से रकबा 1.61 हे. कुल रकबा 28.25 हे. एवं इसी प्रकार ग्राम फुसरिया प.ह.नं. 4 तहसील सिंगोली स्थित सर्वे नं. 1158 मद ना.का.का. में से रकबा 7.750 हे. इस प्रकार कुल रकबा 36.00 हे. भूमि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच को आवंटित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त विवेचना के आधार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिंगोली एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिंगोली के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए पूर्व में इस प्रकरण के आदेश दिनांक 14.11.2017 से आवंटित भूमि ग्राम लुहारियाजाट तहसील सिंगोली स्थित सर्वे नं. 253/1/इइ-1 में से रकबा 36.00 हे. भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है तथा उसके स्थान पर ग्राम लुंवा प.ह.नं. 20 तहसील सिंगोली स्थित भूमि सर्वे नं. 56 मद "प्रस्तावित वन" रकबा 4.11 हे., सर्वे नं. 167 मद "ना.का.का." में से रकबा 22.53 हे., व सर्वे नं. 168 मद "नाला" में से रकबा 1.61 हे. कुल रकबा 28.25 हे. एवं इसी प्रकार ग्राम फुसरिया प.ह.नं. 4 तहसील सिंगोली स्थित सर्वे नं. 1158 मद "ना.का.का." में से रकबा 7.750 हे. इस प्रकार कुल रकबा 36.00 हे. भूमि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच को गंगाबावडी तालाब योजना तहसील मनासा अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में निम्नलिखित शर्तों पर हस्तांतरित की जाती है:-

108  
न्यायालय  
नीमच (म.प्र.)



प्रक्रमांक 10/अ-20(3)/2017-2018

//3//

- विभाग हस्तांतरित भूमि का उपयोग आवेदन पत्र में उल्लेखित किये गये अनुसार करेगा।
- भूमि पर निर्माण कार्य के पूर्व अभिन्यास नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच से अनुमति प्राप्त करेगा।
- भूमि पर पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण कराया जायेगा।
- विभाग भूमि का उपयोग नियत प्रयोजन से हटकर नहीं करेगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।
- यदि भूमि का बाद में नियत प्रयोजन का उपयोग नहीं रह जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों एवं परिसम्पत्तियों के साथ राजस्व विभाग में निहित हो जावेगी और आवेदक विभाग को उसका कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
- शासन के प्रतिनिधि तथा कलेक्टर या उसके प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के परिपालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि तथा उस पर निर्मित संरचनाओं के निरीक्षण का अधिकार होगा। उक्त भूमि किसी शर्त का पालन नहीं होने पर वापसी ली जा सकेगी।
- उक्त भूमि का उपयोग व्यवसाईक प्रयोजन हेतु नहीं करेगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।
- भूमि आगामी 30 वर्षों की स्थायी लीज पर हस्तांतरित की जा रही है, पश्चात् विभाग को लीज नवीनीकरण समय पर कराना होगा अन्यथा भूमि राजस्व विभाग में वैधित हो जावेगी।
- आवेदक को जिस प्रयोजन हेतु भूमि का आबंटन किया गया है उस पर 06 माह तक की समयावधि के अंदर कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा अन्यथा भूमि आबंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- यदि शासन द्वारा भूमि के मूल्य भू-भाटक आदि के संबंध में संशोधन कर निर्देश दिये जाते हैं या अन्य कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो उन्हे मानने के लिए संबंधित विभाग बाध्य होगा।
- उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(कौशलेन्द्र विक्रम सिंह)

कलेक्टर

जिला नीमच (म.प्र.)

नीमच, दिनांक 27-02-2018

पृ.क. 430/आर.टी.सी./2017  
प्रतिलिपि:-

- 1- आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मनासा/जावद की ओर सूचनार्थ।
- 3- अधीक्षक भू-अभिलेख जिला नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4- नजूल अधिकारी जिला नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- तहसीलदार, जावद की ओर भेजकर लेख है कि आदेशानुसार पूर्व में आबंटित भूमि ग्राम लुहारियाजाट तहसील सिंगोली स्थित सर्वे नं. 253/1/इइ-1 में से एकबा 36.00 हे. को निरस्त कर उसके स्थान पर ग्राम लुंवा एवं ग्राम फूसरिया की भूमियों का आबंटन राजस्व अभिलेख में अमल-दरामद करना सुनिश्चित करें।
- 6- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच की ओर आदेशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर,

जिला-नीमच, म.प्र.



# न्यायालय कलेक्टर जिला नीमच, मध्यप्रदेश

प्र.कं. 121/अ-20(3)/2022-23  
ग्राम भागल एवं दांता तह. मनासा



वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल नीमच  
द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, नीमच  
आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन—अनावेदक

आदेश  
( दिनांक 10-05-2023)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच द्वारा पत्र कं. 616, 614,612 दिनांक 16.03.2023, के द्वारा उल्लेखित किया कि नया मालाहेड़ा तालाब योजना से प्रभावित वनभूमि रकबा 16.00 हे., कालिया खो जलाशय योजना से प्रभावित वन भूमि रकबा 2.76 हे., गंगाबावडी जालशय योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि रकबा 3.75 हे. कुल प्रभावित वन भूमि रकबा 22.51 हे. के बदले ग्राम दांता एवं भागल के सर्वे नं. 497, 498 एवं सर्वे नं. 129,130 में से रकबा 22.51 हे. भूमि वन विभाग को आबंटन किये जाने का अनुरोध किया गया ।

2- प्रकरण में प्रस्तुत पत्र के संबंध में विधिवत जांच एवं प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनासा / नजूल अधिकारी उपखण्ड मनासा को प्रेषित किया । प्रकरण में नायब तहसीलदार कुकडेश्वर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया । नियत समयावधि में कोई आपति प्राप्त नहीं हुई । ग्राम पंचायत दांता/कुण्डालिया से अभिमत प्राप्त । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनासा द्वारा नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 24.04.2023 से सहमत होते हुए प्रतिवेदित किया कि नया मालाहेड़ा तालाब योजना से प्रभावित वन भूमि के बदले ग्राम दांता स्थित भूमि सर्वे नं. 497, 498, एवं ग्राम भागल स्थित भूमि सर्वे नं. 129,130 में से रकबा 16.00 हे., कालिया खो जलाशय योजना से प्रभावित होने वाली भूमि के स्थान पर दांता स्थित भूमि सर्वे नं. 497,498 एवं ग्राम भागल स्थित भूमि सर्वे नं. 129, 130 में से रकबा 2.760 हे., गंगाबावडी जलाशय योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के स्थान पर ग्राम दांता स्थित भूमि सर्वे नं. 129,130 में से रकबा 3.75 हे इस प्रकार कुल रकबा 22.51 हे. भूमि को वन विभाग को नजूल निर्वर्तन नियम नियम 2020 अंतर्गत नियमानुसार हस्तांतरण किये जाने से 2 प्रतिशत चरनोई भूमि प्रभावित नहीं होती है, प्रस्तावित भूमि संबंधित वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया गया ।

  
कलेक्टर  
जिला-नीमच (म.प्र.)

3- राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार क्रं. 1 - मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय-दो कंडिका 11 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति को बनाया गया है। उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा दिनांक 09.05.2023 को हुई बैठक में उपरोक्त प्रकरण की जांच एवं परीक्षण उपरांत सर्व सहमति से ग्राम दांता स्थित भूमि सर्वे नं.497 रकबा 8.250 हे., में से रकबा 5.05 हे., सर्वे नं. 498 रकबा 10.460 हे. एवं ग्राम भागल स्थित भूमि सर्वे नं. 129 रकबा 9.49 हे. में से रकबा 2.00 हे., सर्वे नं. 130 रकबा 14.80 हे. में से रकबा 5.00 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 22.51 हे. भूमि को प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को आबंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा एवं जांचकर्ता अधिकारी के अभिमत के आधार पर ग्राम दांता स्थित भूमि सर्वे नं. 497 रकबा 8.250 हे., में से रकबा 5.05 हे., सर्वे नं. 498 रकबा 10.460 हे. एवं ग्राम भागल स्थित भूमि सर्वे नं. 129 रकबा 9.49 हे. में से रकबा 2.00 हे., सर्वे नं. 130 रकबा 14.80 हे. में से रकबा 5.00 हे. मद ना.का.का. में परिवर्तित करते हुए कुल किता 4 कुल रकबा 22.51 हे. भूमि जल संसाधन विभाग की उक्त योजनाओं में प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, वन विभाग नीमच को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय -दो कंडिका 14 के तहत हस्तांतरित की जाती है।

( दिनेश जैन ) I.A.S.  
कलेक्टर  
जिला-नीमच (म.प्र.)  
जिला नीमच (म.प्र.)

पृ.क. 151/आर.टी.सी./2023  
प्रतिलिपि:-

नीमच, दिनांक 10 - 05-2023

- 1- आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 2- वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल जिला नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा/नजूल अधिकारी मनासा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4- नायब तहसीलदार कुकडेश्वर की ओर भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करना एवं नियमानुसार बटांकन कर कब्जा दिया जाना सुनिश्चित करें।
- 5- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

( दिनेश जैन ) I.A.S.  
कलेक्टर  
जिला-नीमच (म.प्र.)  
जिला नीमच (म.प्र.)



न्यायालय कलेक्टर जिला नीमच, मध्यप्रदेश

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल  
नीमच—आवेदक

विरुद्ध  
मध्यप्रदेश शासन—अनावेदक

आदेश  
( दिनांक 31 - 03 - 2023 )

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच द्वारा पत्र क्र/मा.चि./2023/434 नीमच दिनांक 16.01.2023 के द्वारा उल्लेखित किया कि प्रकरण में बाणदा जलाशय योजना में प्रभावित 25.00 हे. वनभूमि, परवनी जलाशय में प्रभावित 8.80 हे. वन भूमि एवं गंगाबावड़ी जलाशय योजना में प्रभावित 28.25 हे. वन भूमि के बदले अन्यत्र स्थान पर गैर वनभूमि आबंटित करने का अनुरोध किया गया।

2- प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पत्र की विधिवत जांच एवं प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जांचद/नजूल अधिकारी उपखण्ड जांचद को प्रेषित किया। प्रकरण में नजूल अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी जांचद द्वारा विधिवत जांच कर प्रतिवेदन प्रेषित किया कि प्रकरण में सार्वजनिक उदघोषणा उपरांत आपत्तियों, दावों और सुझावों के संबंध में तहसीलदार तहसील सिंगोली के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत बाणदा से अभिमत लिया गया, जिसके अनुसार आबंटित किये जानी वाली भूमि अन्य योजना हेतु आरक्षित नहीं है। तहसीलदार सिंगोली द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया कि प्रकरण में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है अतएव बाणदा, परवनी एवं गंगाबावड़ी जलाशय योजना में प्रभावित वनभूमि के बदले प्रश्नाधीन भूमि आबंटित किये जाना उचित प्रतिवेदित किया गया। प्रश्नाधीन भूमि किसी अन्य संस्था द्वारा मांग नहीं की गई है, ना ही अन्य प्रयोजन हेतु आरक्षित है, ना ही लोक प्रयोजन हेतु भविष्य में संभावित है। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा निम्न तालिका अनुसार जलाशय योजनाओं में प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि को वन विभाग को भूमि आबंटन किये जानें के संबंध में प्रस्ताव जिला नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया गया।

| क्रमांक | ग्राम का नाम | खसरा क्रमांक | कुल रकबे का क्षेत्रफल | प्रस्तावित आवंटन हेतु रकबा |
|---------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1       | डाबी         | 1            | 54.559                | 50.00 हे.                  |
| 2       | जेतलिया      | 247          | 33.812                | 12.05 हे.                  |
|         | योग          |              | 88.371                | 62.05 हे.                  |

3- राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार कं. 1 - मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय-दो कंडिका 11 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति को बनाया गया है। उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा दिनांक 29.03.2023 को हुई बैठक में उपरोक्त प्रकरण की जांच एवं परीक्षण उपरांत सर्व सहमति से ग्राम बाणदा जलाशय योजना, परवनी जलाशय योजना एवं गंगाबावड़ी जलाशय योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।



कलेक्टर  
जिला-नीमच (म.प्र.)



(8)

वन मण्डल अधी

प्र.कं. 62/अ-20(3)/2022-23

//2//

4- अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा एवं जांचकर्ता अधिकारी के अभिमत के आधार पर ग्राम डावी स्थित भूमि सर्वे नं. 1 रकबा 54.559 हे. में से रकबा 50.00 हे. भूमि तथा ग्राम जेतलिया स्थित भूमि सर्वे नं. 247 रकबा 33.812 हे. में से 12.05 हे. भूमि को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय - दो कंडिका 14 के तहत ग्राम बाणदा जलाशय योजना, परवणी जलाशय योजना एवं गंगाबावड़ी जलाशय योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले उपरोक्त राजस्व भूमि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को हस्तांतरित की जाती है।

( मयंक अग्रवाल )  
कलेक्टर  
जिला-नीमच (म.प्र.)

प्र.कं. 1870/आर.टी.सी./2022-23  
प्रतिलिपि:-

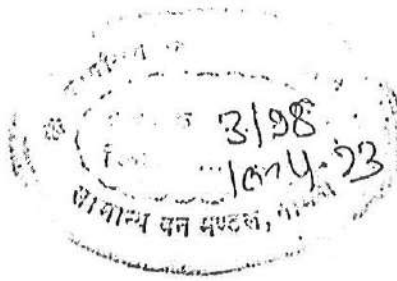
नीमच, दिनांक 31-03-2023

- 1- आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 2- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल नीमच की ओर सूचनार्थ।
- 3- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड / नजूल अधिकारी जलाशय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4- तहसीलदार सिंगोली की ओर भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करना एवं नियमानुसार बटांकन कर कब्जा दिया जाना सुनिश्चित करें।



मा.चि.

14/4  
10-4-23



कलेक्टर  
जिला-नीमच (म.प्र.)

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी  
सामान्य वन मण्डल, नीमच

नीमच, दि. - 11.4.23

क्रमांक/मा.चि./23/3238

प्रतिलिपि:- (1) उपवनमण्डलाधिकारी नीमच (2) वनपरिक्षेत्राधिकारी शनगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रवि.

वन मण्डलाधिकारी  
सामान्य वन मण्डल, नीमच

## न्यायालय कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 40/अ-20(3)/2021-22



वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच  
द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग  
नीमच—आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन—अनावेदक

आदेश

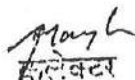
(पारित दिनांक 23-09-2021)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच द्वारा पत्र क्रं. 1803/कार्य/गंगाबावडी जलाशय/21 दिनांक 27.08.2021 के द्वारा उल्लेखित किया कि गंगाबावडी जलाशय योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि का क्षेत्र 39.84 हे. आकलित किया गया है। जिसमें से 0.441 हे. वन भूमि का डिनोटिफिकेशन पाया गया है। शेष बची वन भूमि 39.399 हे. में से अन्य किसी राज्य/वनविभाग के कक्ष का डिनोटिफिकेशन नहीं पाया गया है। पूर्व में तहसीलदार सिंगोली द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 17.02.2018 को वनमण्डलाधिकारी जिला नीमच व अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग नीमच एवं वन परिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ के साथ पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें उभयग्राम की प्रश्नाधीन भूमियों को वनमण्डलाधिकारी नीमच ने वन विभाग को आबंटन हेतु उपयुक्त पाया है। उसके उपरान्त इस न्यायालय के प्रकरण क्रं. 10/अ-20(3)/2017-2018 द्वारा ग्राम लुंवा हल्का नं. 20 रेतपुरा रा.नि.वृत्त झांतला तहसील सिंगोली के सर्वे नं. 56,167 एवं 168 में रकबा 28.25 हे. एवं ग्राम फुसरिया तहसील सिंगोली के सर्वे नं. 1158 में रकबा 7.750 हे. कुल रकबा 36.00 हे. भूमि आबंटित की गई थी, जो वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। उक्त भूमि आबंटन के पश्चात गंगाबावडी जलाशय योजना हेतु शेष 3.399 हे. वन भूमि के स्थान पर अन्य राजस्व/गैर वनभूमि और उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

2— प्रकरण में तहसीलदार मनासा द्वारा विधिवत जांच कर आदेशिका दिनांक 07.09.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पटवारी मौजा हांसपुर द्वारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस के इस न्यायालय को प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मौजा हांसपुर स्थित शासकीय भूमि जो वन विभाग को आबंटित की गई थी, उक्त भूमि के समीप अन्य राजस्व भूमि रकबा 3.399 हे. भूमि के आबंटन हेतु ग्राम हांसपुर के सर्वे नं. 715 रकबा 1.230 हे., सर्वे नं. 716 रकबा 0.700 हे., सर्वे नं. 717 रकबा 0.800 हे., सर्वे नं. 719 पैकी रकबा 0.669 हे. भूमि नोईयत चरागाह की भूमि को गंगा बावडी जलाशय योजना के तहत रकबा 3.399 हे. भूमि वन विभाग को आबंटित किये जाने के पश्चात ग्राम हेतु न्यूनतम संरक्षित चरागाह रकबा 2 प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

व.प्र.भू.रा.सं. 1959 के अंतर्गत निहित प्रावधानों अनुसार उक्त भूमि गंगा बावडी जलाशय योजना हेतु रकबा 3.399 हे. को आबंटित किया जाना उचित होगा।

3— अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड-मनासा द्वारा तहसीलदार मनासा के प्रतिवेदन दिनांक 07.09.2021 एवं 13.09.2021 से सहमत होकर प्रकरण में मौजा ग्राम हांसपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमि वन विभाग को नियमानुसार हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

  
कलेक्टर  
जिला-नीमच (म.प्र.)

4- मेरे द्वारा प्रकरण पत्रिका का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। विवेचना में पाया जाता है कि तहसीलदार मनासा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा द्वारा ग्राम हांसपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 715 रकबा 1.230 हे., सर्वे नं. 716 रकबा 0.700 हे., सर्वे नं. 717 रकबा 0.800 हे., सर्वे नं. 719 पैकी रकबा 0.669 कुल रकबा 3.399 हे. नॉईयत चरागाह को गंगाबावडी जलाशय योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के स्थान पर गैर वन भूमि आबंटित किये जाने की अनुशंसा की गई है। प्रकरण के समग्र विश्लेषण में पाया कि मौजा पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रश्नाधीन भूमि चरागाह मद की है, जिसे आबंटन किये जाने पर 2 प्रतिशत चरागाह का रकबा प्रभावित नहीं होता है। प्रस्तावित भूमि का उपयोग लोकप्रयोजन हेतु किया जाना है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित भूमि वन विभाग को हस्तांतरित कि जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मनासा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम हांसपुर तहसील मनासा स्थित भूमि सर्वे नं. 715 रकबा 1.230 हे., सर्वे नं. 716 रकबा 0.700 हे., सर्वे नं. 717 रकबा 0.800 हे., सर्वे नं. 719 में से रकबा 0.669 कुल रकबा 3.399 हे. भूमि को म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 237 के तहत चरागाह मद से ना.का.का. मद में परिवर्तित करते हुए गंगाबावडी जलाशय योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के स्थान पर गैर वन भूमि म.प्र. शासन वन विभाग नीमच को निम्नलिखित शर्तों पर हस्तांतरित की जाती है:-

1. विभाग हस्तांतरित भूमि का उपयोग आदेश में उल्लेखित किये गये प्रयोजन अनुसार ही करेगा।
2. भूमि पर पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण कराया जायेगा।
3. विभाग भूमि का उपयोग नियत प्रयोजन से हटकर नहीं करेगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।
4. विभाग को गंगाबावडी जलाशय योजना अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि प्राप्त करने उपरांत प्रभावित वन भूमि का आधिपत्य राजस्व विभाग को सौंपना होगा।
5. उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

( मयंक अग्रवाल )

कलेक्टर

जिला नीमच (म.प्र.)

पृ.क. 447/आर.टी.सी./2021  
प्रतिलिपि:-

नीमच, दिनांक 23 - 09-2021

- 1- आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 2- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल नीमच की ओर सूचनार्थ।
- 3- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4- तहसीलदार मनासा की ओर भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कराना सुनिश्चित करें।
- 5- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

जिला नीमच (म.प्र.)

23.9.2021

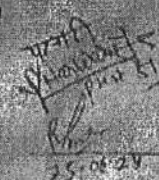
पंचनामा

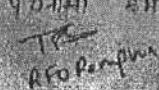
समाप्त  
दिनांक

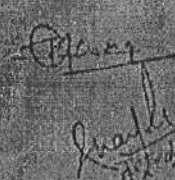
एक पंचनामा ग्राम अंतर्गत के अंतर्गत पंचनामा बरसीक के  
है। कि ग्रामाचार्य तथा न्यायाधीश द्वारा 25/04/2014 के आदेश  
पर क्रमांक 08832 रीट-3/2014 मुद्रांक दिनांक 24/05/2014 के  
आदेश में एक पंचनामा नाम न्यायाधीश द्वारा मुद्रांक 24/05/2014 के  
मुद्रांक क्रमांक 03/अ-68/2014-25 आदेश दिनांक 24/05/2014  
के आदेश में ग्राम दंडा रिपन सर्व क्रमांक 498 रकबा 10.160  
अग्रणीय भूमि जो ग्रामाचार्य के अंतर्गत निम्न नीम के  
मुद्रांक क्रमांक 121/21-20(2)2012-23 आदेश से जो निम्न के  
अंतर्गत की गयी है। अब सर्वे क्रमांक की भूमि पर 0.22 हे भूमि  
पर अतिक्रमण भूमि पिरा परपी बंजारा अंतर्गत 0.500 हे भूमि  
पर देवर सिंह पिरा अंतर्गत बंजारा निवासी अंतर्गत 0.20 हे  
भूमि पर देवर सिंह पिरा देवर बंजारा निवासी अंतर्गत 0.500  
हे भूमि पर मुद्रांक पिरा जोर सिंह बंजारा निवासी अंतर्गत 0.500  
हे भूमि अतिक्रमण के अंतर्गत न्याय न्यायाधीश क्रमांक 24/05/2014  
अपेक्षित में न्याय दंडा व 0.500 जल संयंत्र निम्न के अंतर्गत  
व न्याय निम्न से अपेक्षित अतिक्रमण/कृषिारी की अपेक्षित में जल  
क्रमांक 24/05/2014 के सर्वे क्रमांक 498 रकबा 10.160 हे में से रकबा  
1.43 हे भूमि को समस्त पर अतिक्रमण के मुद्रांक व न्याय न्याय  
व न्याय निम्न के अतिक्रमण/कृषिारी के अब भूमि 1.43 हे  
अतिक्रमण मुद्रांक कच्चा रोपा गया। अब न्यायाधीश में न्याय  
क्रमांक के पिरा व भी अपेक्षित के अब अपेक्षित पंचनामा नाम पंच  
में निम्न है जो सही है।

  
पंचायत अधिकारी

  
P.O. WARD

  
25.04.2014

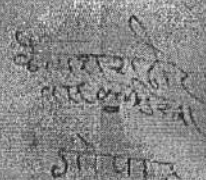
  
Rto Panchayat

  
अधिकारी

अधिकारी

  
अधिकारी

  
अधिकारी

  
अधिकारी





कार्यालय  
वनमण्डलाधिकारी,  
नीमच (म.प्र.)

E-mail- dfo.nmh@mp.gov.in

Phone No: (07423) 226605

क्रमांक/तकनीकी/2024/283/  
प्रति,

नीमच, दिनांक- 19/6/24

कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग, नीमच  
जिला - नीमच (म.प्र.)

विषय:-

कालिया खो जलाशय गंगाबावड़ी जलाशय एवं नया मालाहेड़ा तालाब योजना में प्रभावित होने वाली वनभूमि के बदले ग्राम दांता के सर्वे नंबर 497, 498 एवं एवं ग्राम भागल के सर्वे नंबर 129, 130 में से 22.51 हे. भूमि वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल नीमच को हस्तांतरित करने बाबत।

संदर्भ:-

कलेक्टर, जिला नीमच का आदेश क्रमांक 121/अ-20(3)/2022-23 दिनांक 10.05.2023 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तकनीकी/2024/1265 दिनांक 28.02.2024 एवं 2166 दिनांक 01.04.2024, 3228 दिनांक 16.05.2024 तथा वनपरिक्षेत्राधिकारी रामपुरा का पत्र क्रमांक/263 दिनांक 22.02.2024 एवं 609 दिनांक 03.05.2024

विषयांकित प्रकरण में लेख हैं, कि कलेक्टर, जिला नीमच को संदर्भित आदेश दिनांक 10.05.2023 से कालिया खो जलाशय योजना हेतु रकबा 2.76 हे. गंगाबावड़ी जलाशय योजना हेतु रकबा 3.75 हे. एवं नया मालाहेड़ा तालाब योजना हेतु रकबा 16.00 हे. कुल रकबा 22.51 हेक्टेयर वनभूमि के बदले ग्राम दांता स्थित भूमि सर्वे नं. 497 रकबा 8.250 हे. में से 5.05 हे., सर्वे नं. 498 रकबा 10.460 हे. एवं ग्राम भागल स्थित भूमि सर्वे नं. 129 रकबा 9.49 हे. में से 2.00 हे., सर्वे नं. 130 रकबा 14.80 हे. में से रकबा 5.00 हे. कुल रकबा 22.51 हे. राजस्व भूमि वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल नीमच को हस्तांतरित की गई हैं।

वनपरिक्षेत्राधिकारी रामपुरा द्वारा उनके संदर्भित पत्रों से अवगत कराया गया है, कि ग्राम दांता के राजस्व सर्वे क्रमांक 498 रकबा 10.460 हे. गैर वनभूमि का पुनः सीमांकन एवं के.एम.एल. से मिलान करने पर सर्वे क्रमांक 498 का रकबा 8.83 हेक्टेयर पाया गया। अतः प्रकरण में ग्राम दांता के राजस्व सर्वे क्रमांक 498 का पुनः सर्वे करवाया जाकर रकबा 10.460 हेक्टेयर क्षेत्र आवंटित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत पूर्व में भी कार्यालयीन संदर्भित पत्रों एवं वनमण्डल कार्यालय में आयोजित बैठक दिनांक 03.04.2024 में आपको पूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। उपरोक्त कार्यवाही के अभाव में उक्त योजनाओं से संबंधित प्रकरण परिवेश पोर्टल पर लंबित हैं। अतः प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु उक्त कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

(एस.के.अटोदे)  
(IFS)

वनमण्डलाधिकारी  
वनमण्डल नीमच

नीमच, दिनांक - 19/6/24

क्रमांक/तकनीकी/2024/3832  
प्रतिलिपि:-

01. कलेक्टर जिला नीमच की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
02. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, छपखण्ड मनासा की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
03. उपवनमण्डलाधिकारी मनासा की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ एवं निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
04. वनपरिक्षेत्राधिकारी रामपुरा की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ एवं निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी  
वनमण्डल नीमच



न्यायालय नायब तहसीलदार, टप्पा-कुकडेश्वर, तहसील-मनासा, जिला-नीमच  
क्रमांक- 82 /रीडर-3/2024 कुकडेश्वर दिनांक 18/06/2024

-आदेश:-

न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 0121/अ-20(3)/2022-23 आदेश दिनांक 10/05/2023 एवं इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक -0003/अ-68/2024-25 आदेश दिनांक 24/05/2024 के पालन में ग्राम दांता स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 498 रकबा 10.460 हेक्टर मद गैर-मुमकिन में से रकबा 0.230 हेक्टर भूमि पर अतिक्रामक भीमा पिता परथी बंजारा, अमरपुरा, रकबा 0.20 हेक्टर पर अतिक्रामक इंदरसिंह पिता कन्हैयालाल बंजारा, अमरपुरा, रकबा 0.630 हेक्टर भूमि पर अतिक्रामक सदा पिता छीतर बंजारा, अमरपुरा, रकबा 0.600 हेक्टर भूमि पर अतिक्रामक मुकेश पिता जोरसिंह बंजारा अमरपुरा द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिये निम्नानुसार दल गठित किया जाता है :-

| क्र. | नाम                   | पदनाम                     | दायित्व    |
|------|-----------------------|---------------------------|------------|
| 01.  | श्री रामदयाल शर्मा    | राजस्व निरीक्षक कुकडेश्वर | दल प्रभारी |
| 02.  | श्री विजय नरवारिया    | पटवारी दांता              | सहायक      |
| 03.  | श्री प्रवीण कुमावत    | पटवारी कुकडेश्वर          | सहायक      |
| 04.  | श्री बंशीलाल मांदलिया | पटवारी सारेलिया           | सहायक      |
| 05.  | श्री मोहनलाल मालवीय   | पटवारी हनुमंतिया          | सहायक      |
| 06.  | श्री उमेश नागदा       | पटवारी ढंढेरी             | सहायक      |

उपरोक्त दल दिनांक 21/06/2024 को मौके से अतिक्रमण हटाकर अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग मनासा की उपस्थिति में वन विभाग के अधिकारियों को कब्जा सौंपने की विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

प्र. क्रमांक- 82 /रीडर-3/2024  
प्रतिलिपि-

कुकडेश्वर दिनांक-18/06/2024

- 01 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदय मनासा की ओर सूचनार्थ।
- 02 अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग मनासा की ओर सूचनार्थ एवं मौके पर उपस्थित रहने हेतु।
- 03 वनक्षेत्रपाल (रेंजर) मनासा/रामपुरा की ओर सूचनार्थ एवं कब्जा प्राप्ति हेतु उपस्थित रहने हेतु।
- 04 थाना प्रभारी थाना कुकडेश्वर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक पुलिस बल में महिला पुलिस उपलब्ध कराने हेतु।
- 05 अनावेदक भीमा पिता परथी बंजारा, इंदरसिंह पिता कन्हैयालाल बंजारा, सदा पिता छीतर बंजारा, मुकेश पिता जोरसिंह बंजारा सभी निवासी ग्राम दांता की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 06 संबंधित श्री ..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

न्यायिक अधिकारी  
टप्पा-कुकडेश्वर

(5)

व्यक्तियों एवं समुदायों के विद्यमान अधिकारों के अभिलेखन का प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि ..... ग्राम दांता/भागल तहसील  
मनासा जिला नीमच ..... परियोजना में प्रभावित होने वाली 22.510 हैक्टर  
 वन भूमि के बदले में तहसील रामपुरा जिला नीमच के ग्राम दांता के शासकीय राजस्व  
 भूमि सर्वे नम्बर 497, 498/129, 130 (मद-काबिल कारस्त) वनमण्डलाधिकारी सामान्य  
कुलरकबा 22.510 वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला नीमच (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक  
121/97-20(3)/2422-23 में पारित आदेश दिनांक 10/05/2023 अनुसार हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि  
 में किन्ही भी व्यक्तियों एवं समुदायों के व्यक्तिगत/सामुदायिक अधिकार सम्मिलित नहीं  
 है।

P. N. N. S.  
P. N. N. S.

मनासा जिला नीमच  
धृत 2 कुकड़ेश्वर  
जिला नीमच (म. प्र.)

B. N. S.  
पृष्ठ 00:53

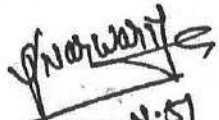
नायब तहसीलदार  
कुकड़ेश्वर, तह. मनासा

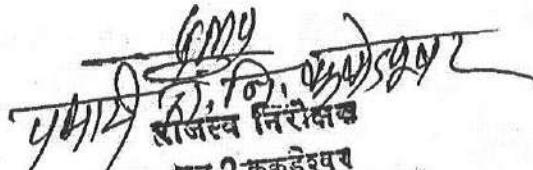
तहसीलदार  
तहसील मनासा

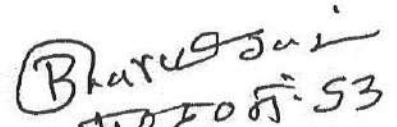
अतिक्रमण मुक्त होने बाबत प्रमाण पत्र

(6)

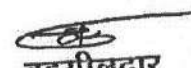
प्रमाणित किया जाता है कि ..... ग्राम पैना/भागल  
झाबियाखोह, जेगाबापड़ी, जलाराय नया मालाहड़ा नालाव तहसील  
मनासा जिला नीमच ..... परियोजना में प्रभावित होने वाली 22.570 हैक्टर  
वन भूमि के बदले में तहसील रामपुरा जिला नीमच के ग्राम दांता के शासकीय राजस्व  
भूमि सर्वे नम्बर 497, 498/129, 130 गैर मुआफ़िन्/परगना ना.का.कास्त  
कुपरकबा 22-570 (मुद-क्राबिल क्रारस्त) वनमण्डलाधिकारी सामान्य  
वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला नीमच (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक .  
21/37-2013/2622-23 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2023 अनुसार हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि  
में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

  
P. M. N. S.

  
राजस्व निरीक्षक  
घुत 2 कुकड़ेश्वर  
जिला नीमच (म. प्र.)

  
पृष्ठ सं. 53

  
नायब तहसीलदार  
कुकड़ेश्वर, तह. मनासा

  
तहसीलदार  
तहसील मनासा



प्रस्तावित गैर वनभूमि के वैधानिक स्वरूप (राजस्व भूमि अथवा निजी भूमि)

बाबत  
प्रमाण-पत्र

①

प्रमाणित किया जाता है कि ..... ग्राम दांग/भागल  
जिला नीमच ..... तहसील मनासा  
परियोजना में प्रभावित होने वाली 22.51 हैक्टर वन भूमि  
के बदले में तहसील रामपुरा जिला नीमच के ग्राम दांग के शासकीय राजस्व भूमि सर्वे  
497,498/129,130 गैर मुक्त/परमो न. काबिल कारन  
नम्बर ..... है (म.प्र. काबिल कारन) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल  
नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला नीमच (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 121/31-20(3)/2022-23 में  
पारित आदेश दिनांक 10/05/2023 अनुसार हस्तांतरित की गई है।

P.N.N.51

राजस्व निरीक्षक  
पुत 2 कुकड़ेश्वर  
जिला नीमच (म. प्र.)

Blashtaji  
पुत 53

नायब तहसीलदार  
कुकड़ेश्वर, तह. मनासा

तहसीलदार  
तहसील मनासा

न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) उपखण्ड-मनासा,  
जिला-नीमच, म0प्र0

क्र. 604 / भू-अर्जन / 2018

मनासा, दिनांक 20/02/2018

—: सार्वजनिक सूचना :-

समस्त प्रभावित कृषकों को सूचित किया जाता है कि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-नीमच द्वारा पत्र क्रमांक 007/भू-अर्जन/गंगाबावडी/2017 नीमच दिनांक 20.03.2017 से तहसील मनासा जिला नीमच अंतर्गत गंगाबावडी जलाशय योजना के बांध व नहर निर्माण एवं डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली ग्राम पड़दा एवं भेरपुरा के निवासी जल नहरों की कुल 21.111 हेक्टर निजी भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का मध्यप्रदेश शासन, जिला नीमच के जल संसाधन विभाग नीमच के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

जिसके संबंध में न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2016-17 में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-9 अनुसार प्रभावित भू-धारकों को जारी वारंट-क्रय पत्र प्रारूप-ख में स्वीकृति पत्र इस न्यायालय को प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसके क्रय के संबंध में जल संसाधन विभाग नीमच के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

जिसके संबंध में न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2016-17 में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-9 अनुसार प्रभावित भू-धारकों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाश में 15 दिनों की समयसीमा में इस न्यायालय में आधार सहित अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। नियत समय के पश्चात् स्वत्व के संबंध में प्राप्त किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

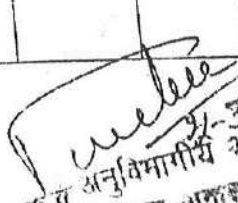
:- अनुसूची :-

| नाम भूमि स्वामी                                                                           | सर्वे नम्बर | अर्जित किया जाने वाला रकबा |                  | परिसम्पत्तियों का विवरण |                                                                            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                           |             | सिंचित (हेक्टर)            | असिंचित (हेक्टर) | कुआ (बक्का/कच्चा)       | वृक्षों का विवरण संख्या सहित                                               | अन्य निर्माण |
| बांध निर्माण                                                                              |             |                            |                  |                         |                                                                            |              |
| न्यायालय कन्हैयालाल पिता देवा<br>नहर निवासी ग्राम भूमि स्वामी                             | 90/3        | 0.020                      | -                | -                       | आम-5, कटहल-1,<br>रेंजा-2 कुआ-8                                             |              |
| गंगाबावडी ब्रेवा इकबाल हुसैन, हुसैन,<br>मुस्तफा पिता इकबाल हुसैन<br>नहर निवासी ग्राम भूमि | 91/1        | 0.850                      | -                | -                       | सहतुत-1, महुआ-5,<br>मोहिनी-2, नीप-1,<br>वेर-1, तेन्दु-1,<br>बीजा-1, कुल-12 |              |

न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2016-17



| नाम भूमि स्वामी                                                                                                   | सर्वे नम्बर | अर्जित किया जाने वाला रकबा |                  | परिसम्पत्तियों का विवरण |                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                   |             | सिंचित (हेक्टर)            | असिंचित (हेक्टर) | कुआ (पक्का / कच्चा)     | वृक्षों का विवरण संख्या सहित                                                                   | अन्य निर्माण   |
| करीबीबाई, रुक्मीबाई, वैवा भागीरथ, प्रकाश, तेजराय पिता जाति बारेट निवासी ग्राम भूमि स्वामी                         | 97          | 1.092                      | -                | -                       | तेन्दु-4, पलाश-1, आम-2, सेगला-3, महुआ-2, बेर-2, खेजडा-1, बेहडा-1, सादड-1, आंवला-4 कुल-21       | -              |
| पिता अमरा बारेट निवासी                                                                                            | 98          | 1.200                      | 0.095            | 1-कच्चा                 | आम-3, नींबू-1, नीम-4, खेजडा-3 कुल-11                                                           | ओटला-1         |
| करीबीबाई वैवा मोहनलाल, किशनलाल पिता मोहनलाल जाति कीर निवासी                                                       | 99/1        | 1.012                      | -                | -                       | महुआ-6, आम-2, नीम-1, खेजडा-1, जामफल-1 कुल-11                                                   | कमरा, टीनशेड-1 |
| पिता नन्दा, करीबीबाई वैवा श्यामलाल केसरीलाल, पिता बापूलाल जाति निवासीग्राम भूमि स्वामी                            | 99/2        | 1.000                      | 0.011            | 1-कच्चा                 | महुआ-18, तेन्दु-4, बेहडा-2, खेर-1, सादड-8, करदई-2, नीम-1, आम-7, कदम-1, चिरोल-1, आंवला-1 कुल-44 | -              |
| पिता सेवा, सजनाबाई वैवा शतिलाल, मुकन्द, वसंतीबाई, शरदाबाई, संतोषबाई पिता सेवा जाति बारेट निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 1097        | 0.441                      | -                | -                       | -                                                                                              | -              |
| मानसिंह पिता रुघनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मालाहेडा                                                         | 1098        | 1.990                      | 0.010            | 1-पक्का                 | महुआ-23, नीम-1, तेन्दु-2, आम-3 कुल-29                                                          | -              |
| मंगीबाई वैवा मोहनलाल, किशनलाल दोगुना मोहनलाल कीर                                                                  | 1100        | 0.324                      | -                | -                       | -                                                                                              | -              |
| (ब) नहर निर्माण                                                                                                   |             |                            |                  |                         |                                                                                                |                |
| मंगीलाल पिता नाथु जाति गायरी, निवासी ग्राम भूमि स्वामी                                                            | 123/1       | 0.087                      | -                | -                       | -                                                                                              | -              |
| शंकर, रमेश, केदार पिता नन्दा गायरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी                                                       | 123/2       | 0.087                      | -                | -                       | -                                                                                              | -              |
| हरदासबाई वैवा घीसालाल, श्यामलाल पिता घीसालाल जाति कीर निवासीग्राम भूमिस्वामी                                      | 124/5       | 0.119                      | -                | -                       | -                                                                                              | -              |

  
 जिला अधिकारी  
 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  
 जिला-नीमच नगर



| नाम भूमि स्वामी                                                                                                                       | सर्वे नम्बर | अर्जित किया जाने वाला रकबा |                  | परिसम्पत्तियों का विवरण |                              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                       |             | सिंचित (हेक्टर)            | असिंचित (हेक्टर) | कुंआ (पक्का / कच्चा)    | वृक्षों का विवरण संख्या सहित | अन्य निर्माण |
| विवासी ग्राम भूमि स्वामी<br>पिता रूपा जाति कीर,                                                                                       | 124/6       | 0.119                      | -                | -                       | -                            | -            |
| विवासी ग्राम भूमि स्वामी<br>पिता धन्ना,<br>मोंगीबाई पिता<br>अमरलाल, नानीबाई पिता<br>सुन्दरलाल, विद्याबाई,<br>पिता रामेश्वर जाति गायरी | 125         | 0.287                      | -                | -                       | -                            | -            |
| विवासी ग्राम भूमि स्वामी<br>पिता राधाकिशन जाति दुआ                                                                                    | 126/1       | 0.263                      | -                | -                       | -                            | -            |
| विवासी ग्राम भूमि स्वामी<br>पिता मेधा कुम्हार,                                                                                        | 126/3       | 0.262                      | -                | -                       | -                            | -            |
| विवासी ग्राम भूमि स्वामी<br>पिता सीताराम जाति                                                                                         | 130         | 0.297                      | -                | -                       | -                            | -            |
| विवासी ग्राम भूमि स्वामी<br>पिता लखमीचन्द जाति                                                                                        | 131         | 0.429                      | -                | -                       | -                            | -            |
| विवासी ग्राम भूमि स्वामी<br>पिता रामचन्द्र जाति                                                                                       | 144/1       | 0.105                      | -                | -                       | -                            | -            |
| विवासी ग्राम भूमि स्वामी<br>पिता हमेर जाति                                                                                            | 144/2       | 0.105                      | -                | -                       | -                            | -            |
| विवासी ग्राम भूमि स्वामी<br>पिता देवा हजारी, केशुराम पिता<br>मोहनलाल, भंवरलाल पिता<br>जाति भील निवासी ग्राम भूमि                      | 150/9       | 0.250                      | -                | -                       | -                            | -            |
| विवासी ग्राम भूमि स्वामी<br>पिता घनश्याम ओझा                                                                                          | 150/1/1     | 0.350                      | -                | -                       | -                            | -            |
| ग्राम - मेरपुरा<br>ग्राम पिता अमर, हुलारीबाई पति<br>जाति भील निवासी ग्राम भूमि                                                        | 10          | 0.036                      | -                | -                       | -                            | -            |

अनुविभागीय अधिकारी (राजपूत)  
जिला - मेरपुरा

(101)

| नाम भूमि स्वामी                      | सर्वे नम्बर | अर्जित किया जाने वाला रकबा |                  | परिसम्पत्तियों का विवरण |                              |              |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|
|                                      |             | सिंचित (हेक्टर)            | असिंचित (हेक्टर) | कुआ (पक्का / कच्चा)     | वृक्षों का विवरण संख्या सहित | अन्य निर्माण |
| पिता मोंगीलाल बंजारा                 | 13/1        | 0.060                      | -                | -                       | -                            | -            |
| निलकंठ, राधेश्याम, पिता जोधराम, जाति | 13/2        | 0.096                      | -                | -                       | -                            | -            |
| निवासी ग्राम जावी भूमि स्वामी        | योग :-      | 20.510                     | 0.601            |                         |                              |              |
|                                      | महायोग      | 21.111                     |                  |                         |                              |              |

(वन्दना मेहरा "अट्ट")  
 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  
 उपखण्ड-मनासा, जिला नीमच, का 0 प्र 0

605 / मू-अर्जन / 2018

मनासा, दिनांक 20 / 02 / 2018

सूचना की एक प्रति कलेक्टर कार्यालय इस कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।

एक प्रति संबंधित ग्राम की ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे।

एक प्रति संबंधित ग्राम की आम चौपाल पर चस्पा की जावे।

जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला नीमच की ओर एक राज्य स्तरीय एवं एक जिला स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।

(वन्दना मेहरा "अट्ट")  
 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  
 उपखण्ड-मनासा, जिला नीमच, का 0 प्र 0

तहसील-मनासा

गंगाबावडी जलाशय परियोजना

परियोजना के बांध निर्माण, डूब एवं नहर निर्माण हेतु अधिग्रहित की जाने वाली  
निजी भूमि का विवरण  
ग्राम पड़दा (गंगाबावडी) एवं भेरपुरा

जिला-नीमच

| स. क्र. | कृषक का नाम पिता/पति का नाम                                                                                                                                | सर्वे न. | कुल धारित रकबा (हेक्टर में) | अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में) | रिमाक |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------|
| 1       | 2                                                                                                                                                          | 3        | 4                           | 5                                          | 6     |
|         | (अ) बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र (ग्राम पड़दा)                                                                                                             |          |                             |                                            |       |
| 1       | हीरालाल, कन्हैयालाल पिता देवा कुम्हार                                                                                                                      | 90/3     | 3.913                       | 0.020                                      |       |
| 2       | सलमाबाई बेवा इकबाल हुसैन, मुर्तजा, मुस्तफा पिता इकबालहुसैन बोहरा                                                                                           | 91/1     | 0.850                       | 0.850                                      |       |
| 3       | सलमाबाई बेवा इकबाल हुसैन, मुर्तजा, मुस्तफा पिता इकबालहुसैन बोहरा                                                                                           | 91/2     | 0.091                       | 0.091                                      |       |
| 4       | भेरूलाल पिता हीरालाल कुम्हार                                                                                                                               | 91/3     | 1.123                       | 1.123                                      |       |
| 5       | अंबाबाई पति अमरचन्द मेघवाल                                                                                                                                 | 91/4     | 0.85                        | 0.550                                      |       |
| 6       | प्रभूलाल, दयाराम, नागेश्वर, जगदीश, रामकन्याबाई, केशरबाई पिता बापूलाल गायरी                                                                                 | 92       | 3.379                       | 1.250                                      |       |
| 7       | धापूबाई पति भेरूलाल चमार                                                                                                                                   | 93       | 0.809                       | 0.769                                      |       |
| 8       | मोहनीबाई बेवा नारायण, मुकेश, लालचंद, अजय, पिता नारायण ना.बा.पा. कर्ता माता मोहनीबाई स्वयं संतोषबाई बेवा प्रभू, कलमेश, अनील, रवीना ना.बा.सर. माता संतोषीबाई | 94       | 2.144                       | 2.144                                      |       |
| 9       | अशोक कुमार पिता गंगाराम पंजाबी                                                                                                                             | 95       | 1.295                       | 1.295                                      |       |
| 10      | अशोक कुमार पिता गंगाराम पंजाबी                                                                                                                             | 101/1    | 0.405                       | 0.060                                      |       |
| 11      | जाकीर हुसैन पिता नबीनूर अंसारी                                                                                                                             | 96       | 0.809                       | 0.809                                      |       |
| 12      | कंवरीबाई रुकमणीबाई बेवा भागीरथ, गोपाल, प्रकाश, तेजराम पिता भागीरथ बारेट                                                                                    | 97       | 1.092                       | 1.092                                      |       |
| 13      | कालू पिता अमरा बारेट                                                                                                                                       | 98       | 1.295                       | 1.295                                      |       |

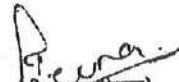
| स. क्र. | कृषक का नाम पिता/पति का नाम                                                                    | सर्वे न. | कुल धारित रकबा (हेक्टर में) | अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में) | रिमाई |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------|
| 1       | 2                                                                                              | 3        | 4                           | 5                                          | 6     |
| 14      | मांगीबाई बेवा मोहनलाल, किशनलाल पिता मोहनलाल कीर                                                | 99/1     | 1.012                       | 1.012                                      | -     |
| 15      | मांगीबाई बेवा मोहनलाल, किशनलाल द. पुत्र मोहनलाल कीर                                            | 99/2     | 1.011                       | 1.011                                      | -     |
| 16      | उदीबाई बेवा भेरू, बापूलाल, भेरूलाल पिता नंदा                                                   | 100      | 2.023                       | 2.023                                      | -     |
| 17      | शुभसिंह पिता रुधनाथ राजपूत नि. मालाहेडा                                                        | 1098     | 2.000                       | 2.000                                      | -     |
|         | योग (अ) :-                                                                                     | 17       | -                           | 17.394                                     | -     |
|         | (ब) नहर निर्माण (ग्राम पड़दा)                                                                  |          |                             |                                            | -     |
|         |                                                                                                |          |                             |                                            | -     |
|         |                                                                                                |          |                             |                                            | -     |
| 1       | भागीलाल पिता नाथु गायरी                                                                        | 123/1    | 2.653                       | 0.087                                      | -     |
| 2       | शंकर, रमेश, केदार पिता नन्दा गायरी                                                             | 123/2    | 2.653                       | 0.087                                      | -     |
| 3       | हरदारीबाई बेवा घीसालाल, श्यामलाल पिता घीसालाल कीर                                              | 124/5    | 0.843                       | 0.119                                      | -     |
| 4       | बट्टीलाल पिता रूपा कीर                                                                         | 124/6    | 0.843                       | 0.119                                      | -     |
| 5       | केशरबाई बेवा धन्ना व भेरूलाल पिता धन्ना, घीसीबाई बेवा हरिराम, नंदलाल, अल्लाल पिता हरिराम गायरी | 125      | 4.699                       | 0.287                                      | -     |
| 6       | भीमसेन पिता राधाकिशन दुआ                                                                       | 126/1    | 1.329                       | 0.263                                      | -     |
| 7       | बंसतीलाल पिता मेघा कुम्हार                                                                     | 126/3    | 1.329                       | 0.262                                      | -     |
| 8       | लखमीचंद पिता सीताराम तमोली                                                                     | 130      | 2.250                       | 0.297                                      | -     |
| 9       | जगदीश पिता लखमीचंद तमोली                                                                       | 131      | 1.822                       | 0.429                                      | -     |
| 10      | हीरालाल पिता रामचंद तमोली                                                                      | 144/1    | 1.072                       | 0.105                                      | -     |
| 11      | गंगाबाई पिता हमेर तमोली                                                                        | 144/2    | 1.072                       | 0.105                                      | -     |

संजय कीहद

किरतर

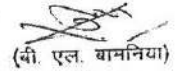


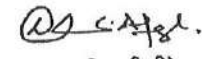
| स. क्र. | कृषक का नाम पिता/पति का नाम                                             | शर्त न. | कुल धारित रकबा (हेक्टर में) | अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में) | रिमार्क |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------|
| 1       | 2                                                                       | 3       | 4                           | 5                                          | 6       |
| 12      | रेजीबाई बेवा हजारी, केशुराम, प्रेमचन्द, मोहनलाल, भंवरलाल पिता हजारी भील | 150/9   | 1.225                       | 0.250                                      | -       |
| 13      | रतनलाल पिता घनश्याम ओझा                                                 | 150/1/1 | 1.430                       | 0.350                                      | -       |
|         | योग (ब) :-                                                              | 13      | -                           | 2.760                                      | -       |
|         | (स) नहर निर्माण (ग्राम भेरपुरा)                                         |         |                             |                                            |         |
| 14      | छगन पिता अमरा, हुलासीबाई पति छगन भील                                    | 10      | 0.580                       | 0.036                                      | -       |
| 15      | राजू पिता मांगीलाल बंजारा                                               | 13/1.   | 0.400                       | 0.060                                      | -       |
| 16      | बालूराम, निलकंठ, राधेश्याम, नंदकिशोर पिता जोधराम कुल्मी नि. जावी        | 13/2.   | 2.100                       | 0.096                                      | -       |
|         | योग (स) :-                                                              | 3       | -                           | 0.192                                      | -       |
|         | महायोग (अ) + (ब) + (स) :-                                               | 35      | -                           | 20.346 हेक्टर                              | -       |

  
(डी. पी. मेहता)  
पटवारी

पटवारी हल्का नं. 40

  
(डी. एस. मेहता)  
राजस्व निरीक्षक  
वृत्त क्र. 01, मनासा

  
(बी. एस. मेहता)  
तहसीलदार  
तहसील मनासा

  
(एम. ए. सिद्धीकी)  
उपयंत्री

  
(संजय कोहद)  
अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसभाग, रामपुरा

  
(बी. एस. मिनामा)  
कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन सभाग, नीमच

तहसील-मनासा

# गंगाबावडी जलाशय परियोजना

सहमति पत्र

जिला-नीमच

हम कृषकगण गंगाबावडी जलाशय निर्माण कार्य के क्रियान्वयन के लिए हमारी निजी भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" अंतर्गत जल संसाधन विभाग को देने हेतु सहमत है एवं तदनुसार भुआवजा लेने हेतु सहमत है।

| स. क्र. | कृषक का नाम पिता/पति का नाम                                                                       | सर्वे न. | कुल धारित रकबा (हेक्टर में) | अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में) | हस्ताक्षर                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.      | 2                                                                                                 | 3        | 4                           | 5                                          | 6                                                        |
|         | (अ) बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र (ग्राम पड़दा)                                                    |          |                             |                                            |                                                          |
| 1       | हीरालाल, कन्हैयालाल पिता देवा कुम्हार<br>वि. मातारवाडी                                            | 90/3     | 3.913                       | 0.020                                      | मि. हीरालाल                                              |
| 2       | सलमाबाई बेवा इकबाल हुसैन, मुर्तजा,<br>मुस्तफा पिता इकबालहुसैन बोहरा<br>वि. पड़दा                  | 91/1     | 0.850                       | 0.850                                      | सलमाबाई<br>Musaib Pardawale<br>Mustafa Pardawale<br>M.P. |
| 3       | सलमाबाई बेवा इकबाल हुसैन, मुर्तजा,<br>मुस्तफा पिता इकबालहुसैन बोहरा                               | 91/2     | 0.091                       | 0.091                                      | सलमाबाई<br>Musaib Pardawale<br>Mustafa Pardawale<br>M.P. |
| 4       | भेरूलाल पिता हीरालाल कुम्हार<br>वि. मातारवाडी                                                     | 91/3     | 1.123                       | 1.123                                      | मि. भेरूलाल                                              |
|         | शंभाबाई पति अमरचन्द मेघवाल<br>वि. पड़दा                                                           | 91/4     | 0.85                        | 0.550                                      | मि. अमरचन्द                                              |
| 6       | प्रभूलाल, दयाराम, नागेश्वर, जगदीश,<br>रामकन्याबाई, केशरबाई पिता बापूलाल<br>गायरी<br>वि. मातारवाडी | 92       | 3.379                       | 1.250                                      | जगदीश<br>नागेश्वर<br>प्रभूलाल                            |
| 7       | धापूबाई पति भेरूलाल चमार<br>वि. पड़दा                                                             | 93       | 0.809                       | 0.769                                      | मि. धापूबाई                                              |

सहमति की हवा

| स. क्र. | कृषक का नाम पिता/पति का नाम                                                                                                                                               | सर्वे न. | कुल धारित रकबा (हेक्टर में) | अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में) | हस्ताक्षर                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                         | 3        | 4                           | 5                                          | 6                                                  |
| 8       | मोहनीबाई बेवा नारायण, मुकेश, लालचंद, अर्जुन पिता नारायण ना.बा.पा. कर्ता माता मोहनीबाई स्वयं सतोषबाई बेवा प्रभू कलमेश, अनील, रवीना ना.बा.सर. माता संतोषीबाई<br>जि. शिवपुरा | 94       | 2.144                       | 2.144                                      | लालचंद<br>मोहनीबाई<br>मि. सतोषबाई                  |
| 9       | अशोक कुमार पिता गंगाराम पंजाबी<br>जि. मलीसा                                                                                                                               | 95       | 1.295                       | 1.295                                      | अशोक                                               |
| 10      | अशोक कुमार पिता गंगाराम पंजाबी                                                                                                                                            | 101/1    | 0.405                       | 0.060                                      | अशोक                                               |
| 11      | जाकीर हुसैन पिता नबीनूर अंसारी<br>जि. मलीसा                                                                                                                               | 96       | 0.809                       | 0.809                                      | जाकीर                                              |
| 12      | कंवरीबाई रुकमणीबाई बेवा भागीरथ, गोपाल, प्रकाश, तेजराम पिता भागीरथ बारेठ<br>जि. शिवपुरा                                                                                    | 97       | 1.092                       | 1.092                                      | कंवरीबाई<br>रुकमणीबाई<br>गोपाल<br>प्रकाश<br>तेजराम |
| 13      | कालू पिता अमरा बारेठ<br>जि. गंगारामपड़ी                                                                                                                                   | 98       | 1.295                       | 1.295                                      | कालू                                               |
| 14      | मांगीबाई बेवा मोहनलाल, किशनलाल पिता मोहनलाल कीर<br>जि. गंगारामपड़ी                                                                                                        | 99/1     | 1.012                       | 1.012                                      | मोहनलाल कीर<br>किशनलाल                             |
| 15      | मांगीबाई बेवा मोहनलाल, किशनलाल, द. पुत्र मोहनलाल कीर<br>जि. गंगारामपड़ी                                                                                                   | 99/2     | 1.011                       | 1.011                                      | मोहनलाल कीर<br>किशनलाल                             |
| 6       | उदीबाई बेवा भेरू, बापूलाल, भेरूलाल पिता नंदा मिठा                                                                                                                         | 100      | 2.023                       | 2.023                                      |                                                    |

सचिव कीर्ण  
जिला मजिस्ट्रेट, जिला कारागार  
जिला शिवपुरा

| स. क्र. | कृषक का नाम पिता/पति का नाम             | सर्वे न. | कुल धारित रकबा (हेक्टर में) | अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में) | हस्ताक्षर |
|---------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1       | 2                                       | 3        | 4                           | 5                                          | 6         |
| 17      | मानसिंह पिता रूघनाथ राजपूत नि. मालाहेडा | 1098     | 2.000                       | 2.000                                      | मानसिंह   |

84

सर्वे नं.

सर्वे नं.

सर्वे नं.

सर्वे नं.



| स. क्र. | कृषक का नाम पिता/पति का नाम                                                                    | सर्वे न. | कुल धारित रकबा (हेक्टर में) | अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में) | हस्ताक्षर                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1       | 2                                                                                              | 3        | 4                           | 5                                          | 6                        |
|         | (ब) नहर निर्माण (ग्राम पड़दा)                                                                  |          |                             |                                            |                          |
| 18      | मांगीलाल पिता नाथु गायरी                                                                       | 123/1    | 2.653                       | 0.087                                      | मांगीलाल                 |
| 19      | शंकर, रमेश, केदार पिता नन्दा गायरी                                                             | 123/2    | 2.653                       | 0.087                                      |                          |
| 20      | हरदारीबाई बेवा घीसालाल, श्यामलाल पिता घीसालाल कीर                                              | 124/5    | 0.843                       | 0.119                                      | शंकर रमेश केदार          |
| 21      | बद्रीलाल पिता रूपा कीर                                                                         | 124/6    | 0.843                       | 0.119                                      |                          |
| 22      | केशरबाई बेवा धन्ना व भेरूलाल पिता धन्ना, घीसीबाई बेवा हरिराम, नंदलाल, अमरलाल पिता हरिराम गायरी | 125      | 4.699                       | 0.287                                      | केशरलाल<br>नंदलाल अमरलाल |
| 23      | भीमसेन पिता राधाकिशन दुआ                                                                       | 126/1    | 1.329                       | 0.263                                      | भीमसेन                   |
| 24      | बंसतीलाल पिता मेघा कुम्हार                                                                     | 126/3    | 1.329                       | 0.262                                      | बंसतीलाल                 |
| 25      | लखमीचंद पिता सीताराम तम्बोली                                                                   | 130      | 2.250                       | 0.297                                      | लखमीचंद                  |
| 26      | जगदीश पिता लखमीचंद तम्बोली                                                                     | 131      | 1.822                       | 0.429                                      | जगदीश                    |
| 27      | हीरालाल पिता रामचंद तम्बोली                                                                    | 144/1    | 1.072                       | 0.105                                      | हीरालाल                  |
| 28      | मीनाबाई पिता हमेर तम्बोली                                                                      | 144/2    | 1.072                       | 0.105                                      | मीनाबाई                  |
| 29      | ऐजीबाई बेवा हजारी, केशुराम, प्रेमचन्द, मोहनलाल, भंवरलाल पिता हजारी भील                         | 150/9    | 1.225                       | 0.250                                      | ऐजीबाई                   |
| 30      | रतनलाल पिता घनश्याम ओझा                                                                        | 150/1/1  | 1.430                       | 0.350                                      | रतनलाल                   |